सी सी आई के संगठनात्मक इतिहास पर एक रिपोर्ट

A Report on Organisational History of CCI

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

Cement Corporation of India Limited
(A Govt. of India Enterprise)

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की सूची

क्र.सं.	नाम (सु/श्री)	से	तक
1	डा.बी.वी. केसकर, अध्यक्ष	20.03.1965	16.06.1972
2	एच.वी. नारायणा राव, प्र.नि.	12.03.1965	25.01.1966
3	एच.डी. सिंह, प्र.नि.	25.01.1966	25.01.1969
4	के.एन. मिश्रा, प्र.नि.	25.01.1969	21.11.1972
5	सी. बालासुब्रमनियम, IAS	21.11.1972	04.07.1973
6	बी.वी. राजू	04.07.1973	28.07.1978
7	कर्नल एस.पी. वाही	26.10.1978	20.07.1981
8	ऐ.पी. महेश्वरी	20.07.1981	27.05.1986
9	के.सी. सोधिया	27.05.1986	31.08.1986
10	एस.बी. जैन, IRS	04.09.1986	24.10.1986
11	सी.एन. गर्ग	24.10.1986	10.11.1988
12	आनंद दरबारी	10.11.1988	28.06.1999
13	एम.के. मित्तल	29.06.1999	25.03.2001
14	के. टेकचंदानी	26.03.2001	31.03.2005
15	ऐ.के. श्रीवास्तवा	01.04.2005	30.09.2009
16	आर.पी. टाक	01.10.2009	30.09.2014
17	मनोज मिस्रा	01.10.2014	30.09.2018
18	बी.वी.एन. प्रसाद	05.10.2018	

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

परिचय

केंद्रीय और राज्य क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) भारत के औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आजादी के बाद से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधन योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से करने की आवश्यकता महसूस की गई। मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, कमजोर औद्योगिक आधार, कम बचत, अपर्याप्त निवेश और औद्योगिक सुविधाओं की कमी, आत्मनिर्भर आर्थिक विकास की दिशा में देश की अंतर्निहित क्षमता को संचालित करने के लिए एक साधन के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की मांग की गई। केंद्रीय क्षेत्र के पीएसयू के व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को औद्योगिक नीति संकल्प और पंचवर्षीय योजनाओं से लिया गया है। राज्यों में सार्वजनिक उपयोगिताओं (सुविधाओं) की बढ़ती जरूरतों के कारण राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (राज्य पीएसयू) स्थापित किए गए। रेलवे, डाक और तार कार्यालय, हवाई अड्डे, बिजली और सीमेंट जैसी सार्वजनिक उपयोगिताओं में संचालित इन पीएसयू ने भारत में आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी स्थापना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों ने देश के लिए धन सृज़न में असाधारण रूप से कार्यनिष्पादन किया। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास को मज़बूत करने और समग्र रूप से देश की उन्नति के लिए सीमेंट एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि, हमारी स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सीमेंट के पर्याप्त निर्माण को उचित महत्व दिया गया है। भारत का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण करने के लिए तैयार की गई मिश्रित अर्थव्यवस्था की योजना में सार्वजनिक क्षेत्र को सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई।

कंपनी के सृज़न की तारीख : - 18.01.1965

सीसीआई लिमिटेड के उत्पाद

सीसीआई लिमिटेड सीसीआई सीमेंट के ब्रांड नाम के साथ सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के तहत पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट (पीपीसी), पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट (पीएससी), साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी) और विभिन्न ग्रेडों जैसे 33, 43, 53 ग्रेड के साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी) जैसे विभिन्न प्रकार के सीमेंट्स का विनिर्माण करता है। कॉर्पोरेशन 53-एस ग्रेड, रेलवे स्लीपरों के विनिर्माण के लिए विशेष सीमेंट जैसी नई उत्पाद श्रृंखला पेश कर रहा है और बेहतर ब्रांड छवि के लिए *महा शक्ति* (*43 ग्रेड*), *परम शक्ति* (*53 ग्रेड*), *पूर्ण शक्ति* (33 ग्रेड) और *जल शक्ति* (33 ग्रेड पीपीसी) जैसे सीमेंट ब्रांड नाम भी लागू कर रहा है।

• पोर्टलैंड पोज्ज़ोलाना सीमेंट (पीपीसी)

पोर्टलैंड पोज्ज़ोलाना सीमेंट एक प्रकार का मिश्रित सीमेंट है जिसे या तो कुछ निश्चित अनुपात में जिप्सम और पोज्ज़ोलोनिक सामग्री के साथ इंटर - ग्राइंडिंग द्वारा अथवा ओपीसी क्लिंकर, जिप्सम और पोज्ज़ोलोनिक सामग्री की अलग-अलग और पूरी तरह से ग्राइंडिंग और एक निश्चित अनुपात में उन्हें मिलाकर उत्पादित किया जाता है। पोर्टलैंड पॉज़ोलाना सीमेंट को आमतौर पर पीपीसी सीमेंट के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के सीमेंट के विनिर्माण में पोज्ज़ोलोनिक सामग्री का उपयोग एक प्रमुख सामग्री के रूप में किया जाता है। तैयारी में उपयोग की जाने वाली पोज्ज़ोलोनिक सामग्री का प्रतिशत 10 से 30 के बीच होना चाहिए। प्रतिशत की निर्धारित सीमा पार होने पर सीमेंट की ताकत कम हो जाती है। इस्तेमाल की जाने वाली कुछ पोज्ज़ोलोनिक सामग्री में ज्वालामुखीय राख, शैल और कुछ प्रकार की मिट्टी शामिल होती हैं। भारत में फ्लाई ऐश सीमेंट की तैयारी में उपयोग किया जाने वाला मुख्य घटक है। इसके अलावा, इस प्रकार के सीमेंट का उपयोग 80% से अधिक निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

• साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी)

साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी) सामान्य कंक्रीट के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला सबसे आम सीमेंट है, इसका प्रयोग विशेष रूप से तब किया जाता है, जब मिट्टी या भूजल में सल्फेट्स का कोई संपर्क (एक्सपोज़र) नहीं होता है। ओपीसी के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल में चूना पत्थर या चाक और अजवायन सामग्री जैसे कि रोल या मिट्टी जैसी सामग्री शामिल होती हैं। क्लिंकर बनाने के लिए एक रोटरी भट्टी में लगभग 14000 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर इस सामग्री के मिश्रण को जलाया जाता है। फिर क्लिंकर को ठंडा किया जाता है और पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाने जाने वाले सूक्ष्म पाउडर में जिप्सम की आवश्यक मात्रा के साथ उसे ग्राइंड किया जाता है। ओपीसी भूरे रंग का पाउडर है जो पानी के साथ मिश्रित होने पर खनिज टुकड़ों को एक कॉम्पैक्ट सामग्री के रूप में बांधने में सक्षम है। इस हाइड्रेशन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सीमेंट उत्तरोत्तर रूप से कठोर, सख्त और ताकतवर होता है ।

भारत के सीमेंट कॉर्पोरेशन के प्लांटों का विवरण

सीमेंट कॉर्पोरेशन की इकाइयां भारत के 8 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में स्थापित की गई थीं। दिल्ली में सीमेंट पीसने वाली एक यूनिट के साथ ये इकाइयां देश भर में पूर्व (असम में बोकाजन) से पश्चिम (छत्तीसगढ़ में अकलतरा, मंधार और मध्य प्रदेश में नयागांव) और उत्तर (हिमाचल प्रदेश में राजबन और हरियाणा में चारखी दादरी) से दक्षिण में (कर्नाटक में कुर्कुटा, तेलंगाना राज्य में तांदूर और आदिलाबाद) के रूप में फैली हुई हैं। सीसीआई लिमिटेड के प्रत्येक प्लांट के स्थानों का विवरण नीचे दिया गया है :

प्रचालनरत प्लांट

- बोकाजन असम
- राजबान हिमाचल प्रदेश
- तांदूर तेलंगाना

गैर प्रचालनरत प्लांट

- मंधार छत्तीसगढ़
- कुर्कुन्टा कर्नाटक
- नयागांव मध्य प्रदेश
- अकलतरा छत्तीसगढ़
- चरखी दादरी हरियाणा
- आदिलाबाद तेलंगाना
- दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट, दिल्ली
- येरागुंटला आंध्र प्रदेश

सीसीआई लिमिटेड के विभिन्न प्लांटों के राज्य, स्थान, क्षमता, प्रयुक्त प्रक्रिया और कमीशन की तारीख का विवरण निम्नानुसार है : -

1. बोकाजान (असम)

यह इकाई असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है । इसकी स्थापना महज आर्थिक विचार की तुलना में पड़ोसी क्षेत्रों को सीमेंट की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से केवल सामाजिक आर्थिक बिंदु को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इस इकाई में उत्पादन 1 अप्रैल, 1977 से शुरू किया गया। इसकी क्षमता 1.98 लाख टन है। इस इकाई के लिए चूना पत्थर बड़े मुश्किल इलाके से गुजरने वाले 18 किलोमीटर लंबे रोपवे द्वारा पहुंचाया जाता है।

2. राजबन (हिमाचल प्रदेश)

यह पहाड़ी तथा कठिन क्षेत्र में स्थित एक और इकाई है। यहां साधारण संचार कठिन है, ऐसी स्थिति में इस इकाई के लिए कच्चे माल तथा तैयार उत्पाद दोनों का परिवहन सडक मार्ग से किया जाता है, जिसमें अधिक समय एवं लागत लगती है क्योंकि यूनिट के समीप कोई रेल शीर्ष / लाइन नहीं है। इस फ़ैक्टरी के कुल उत्पादन की सुपुर्दगी सड़क परिवहन के माध्यम से करनी पड़ती है। दुर्गम पहाड़ियों में अवस्थित खदानों से चूना पत्थर 9 किलोमीटर लंबे रोपवे से पहुँचाया जाता है। इस इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल, 1980 से शुरू किया गया।

तान्दूर (तेलंगाना)

इस इकाई में 1 जुलाई, 1987 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया गया। इसमें शुष्क प्रक्रिया को अपनाया गया और यह (तान्दूर सीमेंट फैक्टरी) तेलंगाना में स्थित है इसकी क्षमता 10 लाख टन है ।

मंधार (छत्तीसगढ़)

यह कॉर्पोरेशन की पहली इकाई है, जिसका उत्पादन गीली प्रक्रिया को अपनाते हुए 19 जुलाई 1970 से शुरू किया गया तथा नवंबर, 1978 से स्लैग सीमेंट का उत्पादन करने के लिए इसे विस्तारित किया गया। यह 3.8 लाख टन की क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। इसके (मंधार सीमेंट फैक्ट्री) स्लैग की आवश्यकता भिलाई स्टील प्लांट को पड़ती है।

कुर्कुटा (कर्नाटक)

यह गीली प्रक्रिया वाली दूसरी इकाई है जिसमें 1 अक्टूबर, 1972 से उत्पादन शुरू किया गया। यह प्लांट कर्नाटक में स्थित है। इसने (कुर्कुटा सीमेंट फैक्ट्री) 1.98 लाख टन की उत्पादन क्षमता के साथ गीली प्रक्रिया को अपनाया।

नयागांव (मध्य प्रदेश)

4 लाख टन की वार्षिक स्थापित क्षमता वाली इस इकाई में 1 मार्च, 1982 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया गया। स्थान विभाजन की अवधारणा अर्थात नयागांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली तथा भटिंडा में क्लिंकर की ग्राइंडिंग के आधार पर और 10 लाख टन क्षमता के साथ परियोजना का विस्तार किया गया। नयागांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली में क्लिंकर की ग्राइंडिंग यूनिट (नयागांव सीमेंट फैक्ट्री) का वाणिज्यिक उत्पादन 01.05.1990 से शुरू किया गया।

अकलतरा (छत्तीसगढ़)

इस इकाई में 1 अप्रैल, 1981 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया गया। यह प्लांट छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। इसमें उत्पादन के लिए शुष्क प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसकी (अकालता सीमेंट फैक्ट्री) की उत्पादन क्षमता 4 लाख टन है।

चरखी दादरी (हरियाणा)

यह एक बीमार इकाई थी जिसका भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया और जून, 1981 में इसे सीसीआई को सौंपा गया। कम अवधि के अंदर पुनर्वास के बाद, सीमेंट की ग्राइंडिंग सितंबर, 1981 में शुरू की गई तथा क्लिंकर का उत्पादन बाद में शुरू किया गया। दोनों शाखाओं में से केवल एक का ही पुनर्वास किया जा सका। 1.74 लाख टन की क्षमता वाली यह इकाई हरियाणा में अवस्थित है। इसमें उत्पादन के लिए अर्द्ध शुष्क प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसने (चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री) 10 मई 1982 से सीमेंट उत्पादन शुरू किया।

आदिलाबाद (तेलंगाना)

इस इकाई में 1 अप्रैल, 1984 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया गया और यह प्लांट तेलंगाना में अवस्थित है। इसमें शुष्क प्रक्रिया को अपनाया गया। इसकी (आदिलाबाद सीमेंट फैक्टरी) क्षमता 4 लाख टन है।

दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट (दिल्ली)

यह दिल्ली में अवस्थित है और इसमें उत्पादन 1.05.1990 से शुरू किया। दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट की क्षमता प्रति वर्ष 5 लाख मीट्रिक टन (दिल्ली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट) है।

संगठनात्मक इतिहास - सीसीआई का विकास, वृद्धि, डूबना और पुनर्गठन

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की स्थापना सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य के साथ भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में 18 जनवरी 1965 को की गई । तीसरी पंच वर्षीय योजना के कार्यान्वयन के दौरान इस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक कदम उठाया गया। बाद में 1970 और 1990 के दौरान, सीसीआई लिमिटेड द्वारा हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में ग्यारह सीमेंट प्लांट स्थापित किए गए। इनकी स्थापना इस "विकासशील पण्यवस्तु'' के लिए बाजार में बढ़ रही मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त सीमेंट का उत्पादन करने के लिए की गई (सीसीआई लिमिटेड के पुनरुद्धार और पुनर्गठन पर स्थायी समिति, 2011)। 31.3.2018 को कंपनी की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी क्रमश: रु. 900 करोड़ और रु.811.41 करोड़ थी। वर्तमान में सीसीआई लिमिटेड एक बहु इकाई संगठन है जिसमें आठ राज्यों में फैली दस इकाइयां शामिल हैं, जिनकी कुल वार्षिक स्थापित क्षमता 38.98 लाख मीट्रिक टन है। सभी फैक्ट्रियां, क्षेत्रीय कार्यालय और दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय इंटरनेट से एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सीमेंट प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ सीसीआई लिमिटेड ने 606 कर्मचारियों (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार) के मजबूत कार्य बल के साथ तान्दूर और नयागांव स्थित फैक्ट्रियों में एक मिलियन टन क्षमता वाले प्लांटों में नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाया है, जो प्राय: अविकसित / पिछड़े क्षेत्रों में अपनी अधिकांश फैक्ट्रियों के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे रहा है। सीसीआई लिमिटेड पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आस पास के गांवों को गोद लेकर और स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके फैक्ट्रियों के आस पास के क्षेत्रों के विकास में भी योगदान देता आ रहा है। सीसीआई लिमिटेड समय-समय पर सभी इकाइयों में और आस पास के क्षेत्रों (सीसीआई लिमिटेड का प्रोफाइल) में भारी वृक्षारोपण अभियान चला रहा है। सभी प्लांटों की कुल स्थापित क्षमता 42.48 लाख मीट्रिक टन थी जो भारत की कुल स्थापित क्षमता के 2% से कम है। हालांकि, तीन ऑपरेटिंग प्लांटों की स्थापित सीमेंट क्षमता 14.46 लाख मीट्रिक टन है। सीसीआई लिमिटेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी 900 करोड़ रुपए है, जबकि 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार इसका निबल मूल्य 3.64 करोड़ रुपए था और 2009 -10 के दौरान इसका निबल लाभ 52.75 करोड़ रुपए था। कई वर्षों तक भारी नुकसान होने के बावजूद, वर्ष 2006 और 2010 के दौरान कॉर्पोरेशन ने लाभ अर्जित किया जो एक सकारात्मक संकेत था। प्रति कर्मचारी उत्पादकता के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो वर्ष 2005-06 के दौरान 600 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2009 -10 के दौरान 898 हो गए हैं। (सीसीआई लिमिटेड के पुनरुद्धार और पुनर्गठन पर स्थायी समिति2011)। पिछले कुछ वर्षों में घाटा बढ़ने के कारण इसके निबल मूल्य में तेजी से गिरावट आई है। 1990 के मध्य तक सीसीआई लिमिटेड को 527.16 करोड़ रुपए के संचित घाटे का सामना करना पड़ा, जो कि चौंकाने वाली बात है

क्योंकि यह राशि कॉर्पोरेशन की 406.74 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी और 0.99 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य की तुलना में अधिक थी। निबल मूल्य (नेट वर्थ) गिरावट ने कॉर्पोरेशन की भावी व्यवहार्यता (उत्तरजीविता) और वाणिज्यिक व्यवहार्यता की रक्षा के लिए पर्याप्त संकेत दिए। यह एक घाटे में चल रहे कॉर्पोरेशन से धीरे धीरे रुग्ण उद्यम बन गया। इसके परिणामस्वरूप सीआईएसए की धारा 15(1) के तहत इसे बीआईएफआर को संदर्भित किया गया और अगस्त 1996 में रुग्ण उद्यम घोषित कर दिया गया। माननीय बीआईएफआर के दिशानिर्देशों के अनुसार लेनदारों की मांग को पूरा करने के लिए येरागुंटला प्लांट को 21 जनवरी 1998 को 200.70 करोड़ रुपए में मैसर्स इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड को बेचा गया। यह संकट उस समय और बढ़ गया जब 31 मार्च 2005 तक कॉर्पोरेशन का संचित घाटा 2152.86 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि इसकी 429.28 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के मुकाबले बहुत अधिक था। इसका निबल मूल्य उप-शून्य स्तर पर चला गया और नकारात्मक हो गया। इसका मूल्य 1723.58 करोड़ रुपए था। बीआईएफआर द्वारा पुनर्वास योजना को मंजूरी देने से पहले ऐसी सभी विनाशकारी घटनाएं घटित हुईं। (सीसीआई लिमिटेड के पुनरुद्धार और पुनर्गठन पर स्थायी समिति, 2011)। माननीय बीआईएफआर द्वारा 3 मई 2006 को स्वीकृत पुनर्वास योजना में मंधार, कुर्कुटा, अकलतरा, चरखी दादरी, दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट / भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट, नयागांव और आदिलाबाद में स्थित सात अव्यवहार्य प्लांटों को बंद करने और उन प्लांटों की परिसम्पत्तियोंको परिसंपत्ति बिक्री समिति के माध्यम से बेचने का सुझाव दिया गया। उन इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को अनुत्पादक स्थाई व्यय से छुटकारा पाने के लिए स्वैच्छिक पृथक्करण योजना की श्रेणी में रखा गया। सरकार की देनदारियों पर ब्याज, जुर्माना और अधिभार की छूट प्रदान कर कंपनी की देनदारियों को और कम कर दिया गया। पुनरुद्धार पैकेज में भी सरकार, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और लेनदारों से छूट को शामिल किया गया (सीसीआई लिमिटेड के पुनरुद्धार और पुनर्गठन पर स्थायी समिति, 2011)।

सीसीआई की परिवर्तनशील स्थिति और रणनीतिगत पहलें

पिछले दशक में अधिकांशत: लगभग 8.5 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2014-15 से दो साल पहले 5 प्रतिशत से नीचे आ गई। 4.7 प्रतिशत की दर से कृषि क्षेत्र आर्थिक विकास का मुख्य चालक बना रहा, जबकि निवेश की कमतर भावना और मांग घटने के कारण विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन वर्ष के दौरान घट गया। वित्तीय वर्ष 2013 -14 के दौरान उच्च और लगातार मुद्रास्फीति भारत के सामने एक प्रमुख और व्यापक आर्थिक चुनौती बनी रही। आरबीआई को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उधारी की दरों को उच्च रखना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सीमेंट उद्योग की संभावनाओं पर इसका प्रमुख असर पडा (सीसीआई लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, 2014)। कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं अनस्थापित हो गई अर्थात उनका काम रोक दिया गया और लोगों ने अवसंरचना परियोजनाओं पर अपने विवेकपूर्ण खर्च की कटौती शुरू कर दी, जो इस बात से स्वत: स्पष्ट है कि उस दौरान नई आवासीय परियोजनाओं का सूखा सा पड़ गया। इससे निर्माण गतिविधियों में कमी आई। वित्तीय वर्ष के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी मंदी की स्थिति बनी रही जिसका हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा, जिससे रुपये के मूल्य में गिरावट आई, जिससे अन्य बातों के साथ साथ पेट्रोलियम की कीमतों पर भी असर पड़ा। सीमेंट की खपत में कमी होने से सीमेंट की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ता गया, जिससे बदले में देश के अधिकांश हिस्सों में सीमेंट की कीमतों में गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, सीमेंट उद्योग को पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि के कारण रसद नुकसान बढ़ने का बोझ उठाना पड़ा, जिसके फलस्वरूप सीमेंट की बिक्री तुलनात्मक रूप से कम हुई। सीसीआई लिमिटेड का निबल लाभ पिछले वर्ष के दौरान 16.20 करोड़ रुपए के निबल लाभ के मुकाबले वर्ष 2014-15 के दौरान बढ़कर 40.08 करोड़ रुपए हो गया। सीसीआई लिमिटेड का सीमेंट का प्रेषण पिछले वर्ष के दौरान 8.31 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले वर्ष 2014-15 के दौरान बढ़कर 9.47 लाख मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान क्लिंकर और सीमेंट का उच्चतम उत्पादन किया गया और पिछले पांच वर्ष की तुलना में इस वर्ष सीमेंट का सर्वाधिक प्रेषण किया गया। वर्ष 1987 में प्लांट की स्थापना के बाद से पिछले साल तान्दूर प्लांट में 7 लाख टन का उच्चतम उत्पादन लक्ष्य हासिल किया जा सका। पिछले 5 वर्षों में राजबन प्लांट में भी उत्पादन सबसे ज्यादा रहा। सीसीआई लिमिटेड द्वारा सामना की जा रही कई नकारात्मक स्थितियों, विशेष रूप से बोकाजन में पुराने और अप्रचलित प्लांट को चलाने से जुड़ी समस्याओं के बावजूद भी सीसीआई लिमिटेड की कुल क्षमता का सदुपयोग 66% (पिछले 5 वर्षों के दौरान सबसे ज्यादा) रहा (सीसीआई लिमिटेड, 2015 की वार्षिक रिपोर्ट)।

वर्ष 2014-15 के दौरान सीसीआई लिमिटेड द्वारा प्राप्त प्राप्त किए गए महत्वपूर्ण लक्ष्य

• वर्ष 2013-14 में 8.36 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2014-15 में 1 लाख टन से अधिक का बढ़ा हुआ उत्पादन जो 14% की वृद्धि दर्शाता है।

• इसी तरह, वर्ष 2013-14 के दौरान 57.84% की तुलना में वर्ष 2014-15 में क्षमता सदुपयोग 65.88% रहा, जो निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद 8.1% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

• वर्ष 2013-14 में बिक्री कारोबार 363.03 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2014-15 में 449.55 करोड़ रुपए हो गया, जो 23.83% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

• वर्ष 2013-14 में 16.20 करोड़ रुपए के निबल लाभ के मुकाबले वर्ष 2014-15 में 40.08 करोड़ रुपए था जो 147.41% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

• वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में सीमेंट के प्रति बैग औसत फैक्ट्री बाह्य प्राप्ति में भी 10% की वृद्धि हुई है।

• कंपनी ने उच्चतम उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री कारोबार और निबल लाभ दर्ज किया है (सीसीआई लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, 2015) ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीसीआई लिमिटेड पिछले वर्षों की तुलना वर्ष 2010-11 से उत्तर पूर्व, दक्षिण और उत्तरी क्षेत्र (सीसीआई लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, 2015) में अपना प्रचालन कर रहा है। इन तीन क्षेत्रों में से कर्नाटक स्थिर पैटर्न कार्यनिष्पादन कर रहा है और सीसीआई लिमिटेड कीमतों को समान रखते हुए बाजार में अन्यथा कम मांग होने के बावजूद भी आवश्यक मात्रा में उत्पादन गति बनाए रखने में सक्षम रहा है। इसे सीसीआई लिमिटेड की मार्केटिंग टीम द्वारा राज्य के ग्रामीण इलाकों में मांग और आपूर्ति बढ़ाकर हासिल किया गया है। खराब मांग के प्रमुख कारणों में रेत के खनन पर प्रतिबंध शामिल है (सीसीआई लिमिटेड, की वार्षिक रिपोर्ट, 2014)। आंध्र प्रदेश में अगस्त से अक्टूबर के महीने में कुछ सुधार हुए, परन्तु उसके बाद लगभग 30-35 ब्रांडों के भारी मात्रा में आगमन के कारण कीमतें बुरी तरह से घट गईं। हालांकि, राज्य में विकास के साथ तालमेल रखने के लिए हाल ही में विकसित किए गए फुटकर सीमेंट के लिए बाजार की खोज की जा रही है। महाराष्ट्र क्षेत्र स्थानीय निकाय और सरकारी तथा निजी क्षेत्र में कम मांग जैसे मुद्दों के साथ स्थिर बना हुआ है। आवास क्षेत्र में ग्लूट के परिणामस्वरूप बाजार में नकदी का प्रवाह खराब हुआ है। खनन को सीमित तरीके से अनुमति देने के साथ बाजार ने वसूली के कुछ संकेत दिखाना शुरू कर दिया है और मांग फिर से बढ़ने लगी है। हालांकि, कीमतों पर दबाव जारी है। जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खराब मांग, कीमतों में कटौती, क्षेत्र में राष्ट्र-विरोधी ताकतों द्वारा लगातार बंद घोषित किए जाने के कारण प्रदर्शन प्रभावित हुआ। प्रचलित परिस्थिति के कारण प्रतिस्पर्धी जो बड़ी मात्रा में सब्सिडी प्राप्त करते हैं, वे उस सब्सिडी का लाभ डीलरों को दे रहे हैं और उनके बीच मूल्य को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है (सीसीआई लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, 2015)।

सीसीआई की नवीनतम वित्तीय विशेषताएं

सीसीआई लिमिटेड का कारोबार – वर्ष **2005-06 से 2016-17 तक *(करोड़ रुपए में)***

स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन से पहले कंपनी का कुल कारोबार वर्ष 2005-06 में 230 करोड़ रुपए था। इस योजना के कार्यान्वयन के बाद वर्ष 2016-17 तक कॉर्पोरेशन का कारोबार 373 करोड़ रुपए हो गया। इस अवधि के दौरान वर्ष 2014-15 में 449.50 करोड़ रुपए का सबसे ज्यादा कारोबार दर्ज किया गया।

सीसीआई लिमिटेड की निबल बिक्री – वर्ष **2005-06 से 2016-17 तक *(करोड़ रुपए में)***

कंपनी की निबल बिक्री वर्ष 2005-06 में 195 करोड़ रुपए थी जिसमें वार्षिक आधार पर वृद्धि हुई और वर्ष 2014-15 में 402.92 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई।

सीसीआई लिमिटेड का पीबीआईटी – वर्ष **2005-06 से 2016-17 तक *(करोड़ रुपए में)***

स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के बाद कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2006-07 में 32.58 करोड़ रुपए (छूट को छोड़कर) का निबल लाभ दर्ज किया, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 53.51 करोड़ रुपए हो गया। अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धि, खराब मांग के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी सीसीआई वर्ष 2005-06 से निरंतर लाभ कमा रही है। वर्ष 2016-17 में निबल लाभ 42.33 करोड़ रुपए था।

निबल मूल्य (नेट वर्थ)

सीमेंट उद्योग में निजी कंपनियों के प्रवेश सहित कई कारणों से सीसीआई को घाटे का सामना करना पडा और वर्ष 1994-95 तक इसका निबल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया। बीआईएफआर रेफरल के बाद, वर्ष 2006 में एक स्वीकृत योजना लागू की गई थी। इसके बाद सीसीआई लगातार लाभ अर्जित कर रहा है।

अंतत: दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निबल मूल्य सकारात्मक हो गया जो अब 3.64 करोड़ रुपए के रूप में है।

सीसीआई का निगमित अभिशासन

शासन संहिता पर कंपनी का सिद्धांत (दर्शन)

निगमित शासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) के संबंध में कंपनी के सिद्धांत के अनुसार, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) वित्तीय विवेक (समझदारी), ग्राहकों की संतुष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता में विश्वास रखता है। सीसीआई अपने निर्दिष्ट विश्वास और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित प्रथाओं के अनुसार काम करता है और इसे कॉर्पोरेशन से जुड़े लोगों अर्थात शेयरधारक, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, लेनदार, भारत सरकार, राज्य सरकारें, सरकारी एजेंसियां / विभाग और बड़े पैमाने पर समाज के मूल्य संवर्धन के लिए काफी लंबा सफर तय करना चाहिए। कॉर्पोरेशन का मानना है कि इसके प्रचालन और कार्यों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से एक निर्धारित समयावधि के भीतर अपने हितधारकों के हितों को बढ़ाने के लिए अंतर्निहित लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। कंपनी निगमित शासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) के उच्चतम मानकों की पुष्टि करने के लिए प्रतिबद्ध है (सीसीआई लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, 2015)।

सीसीआई की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

पर्यावरण पर कंपनी के प्रभाव और सामाजिक कल्याण पर कंपनी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए पहल की है और जिम्मेदारी ली है। यह शब्द कंपनी के ऐसे प्रयासों के लिए लागू होता है जो नियामकों या पर्यावरण संरक्षण समूहों द्वारा यथावश्यकता मानकों से परे होते हैं। निगमित सामाजिक जिम्मेदारी को "निगमित नागरिकता" के रूप में भी जाना जा सकता है और इसमें ऐसी अल्पकालिक लागतें शामिल हो सकती हैं जो कंपनी को तत्काल वित्तीय लाभ प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि इसके बजाय सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं। कंपनी के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक सीएसआर नीति है जो ऐसे सिद्धांत पर आधारित है जिसमें सीसीआई अपने प्रचालनों के सभी पहलुओं में अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदायों और पर्यावरण पर उसकी गतिविधियों के प्रभाव की ज़िम्मेदारी लेते हुए समाज के हित में काम करता है। यह नीति सूक्ष्म उद्यमों, स्वयं-सेवी समूहों आदि को शामिल करते हुए और समुदाय को एक प्रमुख हितधारक के रूप में सम्मान देते हुए स्वैच्छिक सामाजिक कार्यों के माध्यम से लंबी अवधि तक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए फैक्ट्रियों के आस-पास वाले स्थानीय क्षेत्र में समुदायों को सशक्त भी बनाती है और तदनुसार उनकी जरूरतों की पहचान करते हुए और उनके चिंताजनक क्षेत्रों का समाधान करते हुएजीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की है। सीसीआई उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में और तान्दूर और राजबन सीमेंट प्लांटों के आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक

आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता आ रहा है और यह स्वीकार करता है कि इसकी व्यावसायिक गतिविधियों का समाज पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कंपनी टिकाऊ विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के लिए नैतिक तरीके से अपने व्यावसायिक मूल्यों और प्रचालन को एकीकृत करने का प्रयास करती है(सीसीआई लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, 2015)। सीसीआई ने अपने सीएसआर सिद्धांत जो कि व्यापार और समाज विकास के लिए भागीदार बन सकते हैं, के एक भाग के रूप में हमेशा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी की है। अपनी निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (कॉर्पोरेट सोशल रैस्पॉन्सिबिलिटी) के अनुरूप कंपनी ने बहुत सी गतिविधियां शुरू की है और अपने प्लांटों के स्तर पर विभिन्न पहल शुरू की हैं। प्रमुख क्षेत्र जिस पर सीएसआर गतिविधियों को संचालित किया जाता है, वे शैक्षणिक संस्थानों के लिए आधारभूत सुविधाओं, पॉलिटेक्निक के बीपीएल छात्रों को वित्तीय सहायता, चिकित्सा / स्वास्थ्य देखभाल शिविरों के रूप में किया जाता है ।

सीसीआई के निर्माण के समय आवंटित कार्य

1. भारत और अन्यत्र व्यापार और सर्वेक्षण का व्यापार, सीमेंट ग्रेड चूनापत्थर, एस्बेस्टस के भंडारों का पता लगाना और उपलब्ध कराना और सभी प्रकार की निर्माण सामग्री और सीमेंट के विनिर्माताओं, कौलरी मालिक, कोक निर्माताओं, खनिक और निर्माण सामग्री इंजीनियरों को उनके संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करना।

2. सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड विस्फोट भट्टी, स्लैग सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, लो हीट सीमेंट, तेजी से सख्त होने वाला सीमेंट, पोज्ज़ोलाना सीमेंट, ऑयल वेल सीमेंट, सफेद और रंगीन सीमेंट, चूना और चूना पत्थर, कंकड् और / अथवा उनके सह उत्पादों तथा भवन सामग्री का उत्पादन, विनिर्माण,खरीद, परिष्करण तैयार करना, संसाधित करना, आयात करना, निर्यात करना, बिक्री करना और सामान्यतया इनसे संबंधित व्यवसाय करना। इसके साथ-साथ सीमेंट उद्योग से जुड़ी सभी अनुषंगी और सहायक गतिविधियां तथा फैक्ट्रियों, खानों और खदानों, कार्यशालाओं के अधिग्रहण, उन्निर्माण, निर्माण, स्थापना, प्रचालन और रख-रखाव से संबंधित कार्यों में निपुणता विकसित करना।

3. भारत या कहीं और सीमेंट और खनिज उद्योगों के निर्माण के रूप में व्यवसाय करने वाले किसी भी कंपनी या कंपनियों, उपक्रम, व्यापार और संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से या किसी भी अन्य व्यवसाय को खरीदना या अन्यथा उसका अधिग्रहण करना।

4. सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड विस्फोट फर्नेस स्लैग सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, लो हीट सीमेंट, तेज से सख्त होनेवाला सीमेंट, पोज्ज़ोलाना सीमेंट, ऑयल वेल सीमेंट, एल्यूमिना सीमेंट, सफेद और रंगीन सीमेंट, चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सभी प्रकार की अन्य भवन निर्माण सामग्री, एस्बेस्टस और अन्य बिल्डिंग बोर्ड, जिनका प्रयोग, जैसे बैगेज, बांस, लकड़ी के पेपर, जूट, सन और घास, मिट्टी के बरतन, फायर क्ले और फायर ब्रिक्स, फर्श के टाइल, सामग्री आदि जैसे रेशेदार सामग्री से बनी छतों, फर्श दीवारों इत्यादि में किया जाता है, की खरीद, विनिर्माण, प्रसंस्करण, परिष्करण, तैयारी, उपचार, खरीद, बिक्री, आयात, निर्यात अथवा अन्य व्यवसाय, प्रधान कंपनी कें रूप में या किसी एजेंट के रूप में या पूर्ण स्वामी के रूप में या अन्य किसी के साथ भागीदारी में करना।

5. सभी प्रकार के सीमेंट, कंक्रीट, एस्बेस्टस, जिप्सम, कोयला, जूट, हेसियन, कपड़ा, गनी बैग, पेपर बैग, लाईम प्लास्टर, व्हाइटिंग, मिट्टी, बॉक्साइट, सोप स्टोन, अन्य पेंट, फिक्सिंग मैटेरियल, ब्रेबेल, सैंड ब्रिक्स, टाईल, पाईप, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, कृत्रिम

पत्थर और विनिर्माताओं, बिल्डरों और डाई निर्माताओं की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा विनिर्माताओं और विक्रेताओं, डीलरों और कार्यकर्ताओं का सभी प्रकार का व्यवसाय करना।

6. माइनर्स, धातुकर्मियों, बिल्डरों, ठेकेदारों, इंजीनियरों, व्यापारियों, आयातकों और निर्यातकों के व्यापार को चलाने के लिए, और सभी प्रकार की संपत्तियों को खरीदने, बेचने और सौदे करने का कार्य करना।

7. लौह, कोयले, लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैंगनीज, एल्यूमीनियम, मिट्टी और फायर क्ले का व्यापार करना और खनिज और खनिज उत्पादों और खनन अथवा धातुकर्मीय प्रचालनों के संबंध में प्रयोग की जा रही उपयोगी मशीनरी अथवा किसी कंपनी में नियुक्त कामगारों और अन्य कर्मचारियों द्वारा आवश्यक सामग्री की खरीद, बिक्री, विनिर्माण, आयात, निर्यात और संबंधित व्यवसाय करना।

8. ऐसे स्थानों की जांच और खोज करना जहां सीमेंट का उत्पादन लाभप्रदता के साथ किया जा सकता है अथवा जहां कोई भी सामग्री, खनिज अथवा विनिर्माण को कार्य लाभप्रद तरीके से किया जा सकता है, कंपनी इस आशय के लिए संभावनाएं तलाश करने अथवा अनुसंधान कार्य करने या करवाने के लिए हकदार हैं।

9. कंपनी को चूना पत्थर, चाक, मिट्टी, अयस्क, धातु, खनिज, तेल, कीमती और अन्य पत्थरों अथवा भंडारों अथवा उत्पादों के खनन अथवा संभावनाओं की तलाश, उनका पता लगाने, प्राप्त करने, क्रश करने, स्मेल्ट करने, विनिर्माण करने अथवा अन्यथा उनका व्यवसाय करने और इसकी सभी शाखाओं और पहलुओं में खनन का व्यवसाय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

10. किसी भूमि, भवनों, खानों, खनिजों, पॉटरी, पॉटरी वर्क, वे लीव्स, सुविधाओं, अधिकारों, लाइसेंसों, शक्तियों और छूटों तथा विशेष रूप से जलाधिकारों या मोटे पावर और कोई मशीनरी, प्लांट, यूटेंसिल, माल, ट्रेड मार्क और किसी प्रकार की अन्य चल अथवा अचल संपत्ति, जो कंपनी अपने व्यवसाय के प्रयोजन से आवश्यक अथवा उचित समझे और जो कंपनी के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी प्रतीत हो, का या तो पूरी तरह से अथवा सशर्त और या तो अकेले अथवा संयुक्त रूप से छूट के साथ अधिग्रहण करना, स्वीकृत करना, खरीद करना, पट्टे लेना / देना, लाईसेंस प्रदान करना अथवा अन्यथा कोई व्यवसाय करना।

11. अयस्कों और खनिजों की खोज करना और किसी भी ऐसी भूमि में खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करना, जिसे कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है या अपने पास रखा जा सकता है और ऐसी भूमि को भवन अथवा अन्यथा किसी इस्तेमाल के लिए पट्टे पर देना।

12. कंपनी की किसी भी प्रकार के उद्यमों, भूमि, खानों, अधिकार, सुविधाओं, संपत्ति और परिसंपत्तियों अथवा उसके किसी भाग का उपयोग करना, प्लांट, कृषि कार्य करना, प्रबंधन करना, सुधार करना, विकास करना और व्यवसाय की दृष्टि से किसी प्रकार अन्यथा उसका प्रयोग करना।

13. अपनी सभी शाखाओं में एक जल-कार्य कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाना और सिंक वेल तथा शाफ्ट और बांध, जलाशयों, जल कार्यों, सिस्टर्न, पुलिया, फिल्टर बेड, मेन और अन्य पाईप और उपकरणों का निर्माण, रख-रखाव और पानी में प्राप्त करने, भंडारण करने, वितरित करने, मापने, प्रदान करने और निपटने के लिए अन्य सभी कार्य और व्यवसायों का निष्पादन करना।

14. पेंट-निर्माता, डाई-निर्माता, गैस निर्माता, स्मेल्टर, धातुकर्मियों और रासायनिक इंजीनियरों, का व्यवसाय करना और भूमि, वायु और समुद्र के माध्यम से माल का परिवहन करना, घाटियों, गोदामों, बागानों, किसानों, ईंट निर्माताओं, पॉटर, लकड़ी के व्यापारियों, सॉमिल के स्वामियों और लकड़ी निर्माताओं का कार्य करना तथा लकड़ी के उत्पादन और खरीदने, बेचने, बढ़ाने, बाजार के लिए तैयार करने, आयात करने, निर्यात करने और लकड़ी या लकड़ी के सभी प्रकार के निर्माण कार्य करने और खरीदने के लिए उसका व्यवसाय करना।

15. पत्थर की खदानों में खनन का व्यापार अथवा व्यवसाय करना और पत्थर, बर्नर के डीलर के रूप में कार्य करना और अपनी सभी शाखाओं में कंक्रीट निर्माता, सीमेंट विनिर्माता के रूप में कार्य करना।

16. आम तौर पर भूमि स्थित कंपनियों द्वारा उनकी सभी विभिन्न शाखाओं में किए जाने वाले सभी कार्य या किसी भी व्यवसाय को करना और विशेष रूप से किसी सामग्री की रुपरेखा तैयार करना, निकास व्यवस्था ठीक कर, साफ-सफाई, सड़क निर्माण अथवा उसमें सुधार करना और उसका विकास करना तथा उस पर उन्निर्माण, निर्माण करना, परिवर्तित करते हुए पुनर्निर्माण करना या उसके उन्निर्माण और सहायता प्रदान करना; और कंपनी के व्यवसायिक प्रयोजन के लिए यथावश्यक अनुषंगी कार्य करना।

17. सभी प्रकार की धातुओं और खनिजों, प्लांट और मशीनरी, वैगन, रोलिंग स्टॉक, उपकरण, औजार, उपयोगी बर्तन, पदार्थों, सामग्री और वस्तुओं, जो किसी ऐसे व्यवसाय को करने के लिए आवश्यक अथवा अनुकूल है, जिसके लिए कंपनी प्राधिकृत है, का निर्माण, खरीद, बिक्री, विनिमय, स्थापित, कार्य में परिवर्तन, कुशलता में सुधार, बाजार, आयात और निर्यात के लिए तैयार करना अथवा ऐसा कोई कार्य करना जो इस व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है।

18. निर्माण, निष्पादन, उपकरण, सुधार, प्रबंधन, प्रशासन और कार्यों और सुविधाओं के नियंत्रण के लिए या उसके संबंध में, या निष्पादित करने, क्रियान्वित करने, निपटाने के लिए या उसके संबंध में किसी भी अनुबंध, निविदा, खरीद अथवा अन्यथा अधिग्रहीत करना और उसे निष्पादित करना, निपटाना अथवा अंतिम रूप देना।

19. अपनी संबंधित सभी शाखाओं में एक सामान्य विद्युत ऊर्जा और आपूर्ति कंपनी और गैस-कार्य कंपनी का व्यापार करना और सभी आवश्यक बिजली स्टेशनों, केबल्स, तारों, रेखाओं, संचयकों, लैंपों को बनाने, स्थापित करने, बिछाने, निर्धारित करने और सभी आवश्यक कार्य करने और छोटे एवं हल्के शहरों, कस्बों, सड़कों, डॉक, बाजार सिनेमाघरों, इमारतों और सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर बिजली और गैस उत्पादन, भंडारण, वितरण और आपूर्ति करना।

20. प्रकाश व्यवस्था, हीट मोटिव पावर अथवा अन्यथा इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिशियन, बिजली के आपूर्तिकर्ताओं का व्यवसाय करना और बिजली, गैल्वेनिज्म, मैग्नेटिज्म अथवा अन्यथा के उत्पादन, वितरण, आपूर्ति, संचयन और रोजगार के संबंध में प्रयोग की जा रही केबलों और अन्य उपकरणों के विनिर्माताओं और डीलरों का व्यवसाय करना।

21. ऐसी सभी प्रकार की वस्तुओं और सामानों का विनिर्माण और व्यवसाय करना, जो ऐसे किसी व्यवसाय में किसी व्यक्ति को सामान्यत: आवश्यक होती हैं या ऊपर बताए गए ऐसे किसी व्यवसाय के प्रयोजन से जरुरी होती हैं।

22. किसी सरकारी प्राधिकारी, कॉर्पोरेशन अथवा निकाय या किसी कंपनी या लोगों के निकाय द्वारा जारी किए गए शेयर, स्टॉक, प्रतिभूतियों और ऋणात्मकता के सूचकांकों अथवा लाभ या अन्यथा किसी प्रकार के दस्तावेजों में भागीदारी के अधिकारों में शामिल होना, अंडरराइट करना, खरीद अथवा अन्यथा अधिग्रहण करना; और बनाए रखना या निपटान करना।

23. किसी भी ट्रेडमार्क, पेटेंट, ब्रवेट्स और आविष्कार लाइसेंस, छूट और इसी तरह के किसी भी आविष्कार के लिए आवेदन करने, किसी भी विशेष या गैर-विशिष्ट या सीमित आधार पर अधिकारों का उपयोग करने, या किसी भी गुप्त सूचना या अन्य जानकारी का अधिग्रहण करना, जो कंपनी के किसी प्रयोजन के लिए लाभप्रद प्रतीत होती है और जिसका अधिग्रहण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के हित में होता है और इस प्रकार अधिग्रहित की गई संपत्ति, अधिकारों, सूचना के संदर्भ में उसका इस्तेमाल करना या लाइसेंस प्रदान करना।

24. किसी भी कंपनी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना, जिसका संवर्धन वांछनीय माना जाएगा।

25. प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और अनुदान, पुरस्कार और प्रीमियम का प्रस्ताव देना तथा स्वीकृत करना और कंपनी के किसी सदस्य अथवा उपभोक्ता के लिए इन्हें सुरक्षित करना अथवा कंपनी के लिए अथवा कंपनी द्वारा जारी किए गए किसी कूपन या टिकट धारक को उक्त पुरस्कार प्रदान करना या उसके लिए सुरक्षित करना, किसी भी चैलिस, सुविधा, फायदे, लाभ या विशेष विशेषाधिकार जो लाभकारी प्रतीत हो सकते हैं, या तो अनावश्यक रूप से या अन्यथा और आमतौर पर कंपनी के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और बिक्री को बढ़ाने के साधनों को अपनाने के लिए उचित प्रतीत होते हैं।

26. संसद में या अन्य प्राधिकारियों, राष्ट्रीय, स्थानीय, नगर निगम या अन्यथा, किसी ऐसे स्थान, जिसमें कंपनी के हित निहित हो सकते हैं, के समक्ष सभी आवश्यक अथवा उचित कदम उठाना और कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी बातचीत करना अथवा प्रचालन करना अथवा कंपनी के गठन या इसके सदस्यों के हित में कोई संशोधन करना और अन्य कंपनी, फर्म अथवा लोगों द्वारा उठाए गए ऐसे कदमों का विरोध करना, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी अथवा इसकी किसी सहायक कंपनी के हित के प्रतिकूल हो सकता है।

27. निम्नलिखित संपत्ति सहित सभी प्रकार की संपत्तियों का अधिग्रहण करना और उनसे जुड़ा व्यवसाय करना :

i) इस कंपनी के लक्ष्यों के तहत व्यवसाय करने वाली किसी कंपनी, फर्म या किसी भी व्यक्ति के व्यापार, संपत्ति और देनदारियां ।

ii) भूमि, भवन, ईज्मेंट्स और अचल संपत्ति में अन्य कोई हित।

iii) प्लांट, मशीनरी, निजी संपत्ति और प्रभाव।

iv) पेटेंट, पेटेंट अधिकार, आविष्कार अथवा डिजाइन।

v) ऐसा कोई व्यवसाय करने वाली किसी ऐसी कंपनी के शेयर स्टॉक या प्रतिभूतियां जो व्यवसाय करने के लिए यह कंपनी हक़दार है अथवा कोई अन्य कंपनी या उपक्रम, जिसका अधिग्रहण कंपनी के हित में है, प्रतीत होता है अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से परिकलित किया गया है या कंपनी के लिए लाभप्रद हो सकता है और कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई ऐसी किसी कंपनी के शेयर लगातार अपने पास बनाए रखना और ऐसे किसी शेयरों, स्टॉक अथवा प्रतिभूतियों की बिक्री, निपटान और स्थानांतरण करना।

vi) कंपनी द्वारा इसके व्यापार के प्रयोजन से आवश्यक अथवा अनुकूल एवं सुविधाजनक समझे गए किसी अधिकार, संपत्ति अथवा सुविधाओं की अभीष्ट रूप से अथवा सशर्त, अकेले अथवा अन्य किसी की भागीदारी में खरीद करना, पट्टे पर लेना अथवा विनिमय के माध्यम से अधिग्रहित करना या आमेलन, लाइसेंस या संबंध बनाकर अथवा अन्यथा प्राप्त करना और वाटर कोर्सेज, घाट, खम्भों, घाट, घाट शेड, लैंडिंग स्थानों, गैरेज, समुद्र और भूमि यातायात के लिए सभी प्रकार के आवास, जल मार्गों, भूमि, भवन, पाइपलाइनों, फाउंड्री, गोदामों, कार्यों, फैक्ट्रियों, वेयरहाउस, ट्रामों, कार्यशालाओं साइडिंग, इंजन, मशीनरी और उपकरण, बिजली के काम, जलाधिकार, वे लीव्स, सुविधाओं अथवा किसी भी प्रकार के अधिकारों या विशेषाधिकारों या किसी भी प्रकार की अन्य सुविधाओं, जिनकी गणना सीधे या परोक्ष रूप से कंपनी के हित के लिए की जा सकती है और निर्माण, सुधार, रख-रखाव संबंधी कार्यों, प्रबंधन और संचालन में योगदान देना, छूट प्रदान करना अथवा अन्यथा सहायता प्रदान करना।

28. कंपनी के सभी अथवा कोई संपत्ति को बेचना, किराए पर देना, निपटान करना अथवा अधिकार प्रदान करना

29. कंपनी के प्रयोजन से भवनों, कारखानों, प्लांट और मशीनरी का निर्माण करना।

30. सभी किरायों का भुगतान करना और किसी पट्टा या पट्टों, जो कंपनी को दिए जा सकते हैं अथवा सौंपे जा सकते हैं अथवा कंपनी द्वारा अन्यथा अधिग्रहित किये जा सकते हैं, में निहित सभी वाचाओं, शर्तों और समझौतों का पालन करना और उनकी शर्तों का अनुपालन करना।

31. कंपनी के व्यवसाय के वित्तपोषण के लिए धन उधार लेना अथवा जमा राशियों पर धन प्राप्त करना, चाहे वह धन प्रतिभूति के बिना अथवा डिबेंचरों, स्टॉक (सतत या समाप्त), बंधक अथवा अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर क्यों न प्राप्त किया जाए, जो अनिश्चित पूंजी सहित कंपनी की सभी अथवा किसी एक परिसंपत्ति पर प्रतिभूत की गई हों और ऐसी प्रतिभूतियों को बढ़ाना, कम करना या उनका भुगतान करना

32. अचल संपत्ति को गिरवी रखकर धन उधार देना अथवा अचल संपत्ति को रेहन रखकर या प्रतिज्ञा पर बंधक बनाकर धन उधार देना अथवा प्रतिभूतियों के बिना धन उधार देना और कंपनी की धनराशि (इस कंपनी के शेयरों में छोड़कर) को इस ढंग से निवेश के लिए इस्तेमाल करना जो निदेशकों के विवेकानुसार उचित हो और इनकी बिक्री, स्थानांतरण अथवा अन्यथा निपटान करना ।

33. साझेदारी में या संयुक्त कार्य, साझा करने या पूलिंग लाभ, समामेलन, ब्याज के आमेलन, सहयोग, संयुक्त उद्यम, पारस्परिक रियायत, सहायता, सब्सिडी या अन्यथा किसी भी व्यक्ति अथवा कंपनी के साथ ऐसे किसी व्यवसाय में भागीदारी करना जो

व्यवसाय करने के लिए कंपनी प्राधिकृत है अथवा ऐसे किसी व्यवसाय, उद्यम या लेन-देन में भाग लेना, जो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि इस कंपनी के लाभ के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचालित किया जा रहा है।

34. कंपनी की सभी या कोई संपत्ति अथवा नकदी के लिए या स्टॉक के लिए नकदी या स्टॉक, शेयर अथवा किसी अन्य कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए या अन्य विचार के लिए जिसे कंपनी अपने विवेकानुसार उचित समझे, का निपटान अथवा बिक्री करना और विशेष रूप से किसी ऐसी अन्य कंपनी के शेयरों, डिबेंचरों, प्रतिभूतियों की बिक्री निपटान करना, जो इस कंपनी से मिलता-जुलता व्यवसाय करती है और जिसके उद्देश्य एक जैसे हैं।

35. वैज्ञानिक और अध्यापन अनुसंधान के लिए भारत में या विश्व के किसी स्थान में शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और परीक्षण कार्यशालाओं की स्थापना करना, उनका रख-रखाव करना और संचालन करना अथवा अन्यथा सहायता प्रदान करना, सभी प्रकार के प्रयोग और परीक्षण करना, वैज्ञानिक और तकनीकी दोनों प्रकार के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, पुस्तकालयों, व्याख्याताओं, बैठकों और सम्मेलनों के लिए सहायता, सब्सिडी और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवा कर जांच और अण्वेषण करना तथा वैज्ञानिक अथवा तकनीकी प्राध्यापकों या अध्यापकों को मेहनताना प्रदान करना अथवा मेहनताने में सहयोग प्रदान करना और उन्हें छात्रवृत्ति, पुरस्कार प्रदान करना या इसमें अपना योगदान देना, विद्यार्थियों को अनुदान देना अथवा ऐसे सभी प्रकार के अध्ययन, अनुसंधान, जांच, परीक्षण और अण्वेषण को सामान्यतया प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और पुरस्कृत करना, जिसे किसी ऐसे व्यवसाय के लिए सहायक माना जा सकता है, जो कंपनी संचालित करने के लिए प्राधिकृत है और उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए सरकार अथवा किसी अन्य पक्षकार के साथ किसी व्यवस्था/करार में शामिल होना। ।

36. कंपनी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने अथवा इसके व्यवसाय को संचालित करने के लिए आवश्यक अथवा अपरिहार्य शक्तियां, प्राधिकार, संरक्षण, वित्तीय और अन्य सहायता प्राप्त करने अथवा किसी अन्य प्रयोजन जो अनिवार्य प्रतीत होता है, के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु भारत में अथवा विश्व के किसी भाग में विधानमंडल के किसी आदेश अथवा अधिनियम को पारित करने या अधिनियमित करने के लिए कोई व्यवस्था करना या प्राप्त करना और किसी ऐसी कार्यवाही अथवा आवेदनों या किसी अन्य प्रयास, कदमों अथवा उपायों का विरोध करना, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के हित के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं।

37. प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयोजन से भारत सरकार, अन्य सरकार या राज्य अथवा स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या प्राधिकरणों, सर्वोच्च, राष्ट्रीय, स्थानीय, नगर निगम अथवा अन्यथा या किसी शासक, प्रमुख, भूमि धारकों या किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यवस्था / करार में शामिल होना अथवा कंपनी के स्वरूप में कोई संशोधन करने के लिए कोई व्यवस्था करना या कंपनी अथवा इसके सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने और ऐसी किसी सरकार, राज्य, प्राधिकरण अथवा व्यक्ति से कोई चार्टर, सब्सिडी, ऋण, इंडेमनिटी, अनुदान, संविदा, डिक्री, अधिकार, मंजूरी, सुविधाएं, लाइसेंस अथवा छूट , कोई भी क्यों न हो (चाहे सांविधिक अथवा अन्यथा) प्राप्त करना, जो कंपनी अपने विवेकानुसार आवश्यक और उचित समझती है तथा ऐसी व्यवस्थाओं, चार्टर, अनुदानों, संविदाओं, डिक्री, अधिकारों, मंजूरियों, सुविधाओं, लाईसेंसों अथवा छूटों का अनुपालन करना और उनकी निबंधन और शर्तों का पालन करना और विशेष रूप से ऐसी सरकार, राज्य, प्राधिकारी अथवा व्यक्ति के साथ कंपनी के लाभों को साझा करने या कंपनी के शेयरों पर लाभांश को प्रतिबंधित करने के लिए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

38. रेस्तरां, स्वल्पाहार कक्ष, बुफे, कैंटीन, कैफेटेरिया और होटल की स्थापना, रख-रखाव , प्रबंधन और प्रचालन करना और सामान्य प्रावधान वाले व्यापारियों, लाइसेंस प्राप्त विक्चुएलर्स और सिगरेट के व्यापार को आगे बढ़ाना।

39. नियोजित व्यक्तियों अथवा कंपनी द्वारा पूर्व में नियोजित कर्मचारियों, पत्नी, परिवारों, आश्रित या उनसे जुड़े व्यक्तियों के मनोरंजन और कल्याण के लिए आवासों, बसेरों अथवा चौल का निर्माण करना अथवा निर्माण में योगदान करना या अनुदान प्रदान करना, लोगों को भत्ते, बोनस अथवा अन्य भुगतान करना या समय-समय पर भविष्य निधि और अन्य एसोसिएशनों, संस्थानों, निधियों अथवा न्यासों का सृजन करना अथवा उनमें अंशदान करना अथवा कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान कर उनकी सहायता करना अथवा प्रीमियम का भुगतान करना या अन्यथा इसमें योगदान देना और अनुदेश तथा मनोरंजन, अस्पताल और डिस्पेंसरी जैसे स्थानों में उन्हें ग्राहक बनाना अथवा अंशदान करना अथवा कंपनी के विवेकानुसार उचित चिकित्सकीय और अन्य सहायता प्रदान करना।

40. किसी भी संपत्ति या व्यापार या व्यवसाय या व्यापार के किसी भी संगठन या वित्त के किसी प्रतिष्ठान, रखरखाव या विस्तार का कोई भी संघ या निधि सुरक्षा के लिए किसी भी संगठन या निधि के साथ अशोध्य ऋण, हड़ताल, संयोजन, आग, दुर्घटना या अन्यथा या किसी भी कंपनी द्वारा नियुक्त किसी बाबू, कामगार अथवा अन्य व्यक्ति के लाभार्थ या व्यापार में इसके किसी उत्तराधिकारी या उनके परिवारों

अथवा आश्रितों और अन्य व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी और विशेष रूप से मित्रों, सहयोगियों और अन्य सोसाइटियों, रीडिंग रूम, पुस्तकालयों, शैक्षणिक और चैरिटेबल संस्थानों, रिफ्रेक्टरी, डायनिंग और मनोरंजन कक्षों, कार्यशालाओं, स्कूलों और अस्पतालों की स्थापना, रख-रखाव, विस्तार के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करना और लोक अथवा स्थानीय अंशदान से जुटाई गई निधियों में अंशदान करना और ग्रैच्युटी, पेंशन और भत्तों का भुगतान करना।

41. औद्योगिक अथवा श्रमिक समस्याओं या परेशानियों के निराकरण या उद्योग अथवा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अथवा उनके समाधान हेतु संबद्ध निकाय को अथवा आंदोलन में सावधानीपूर्वक अथवा अन्यथा सहयोग प्रदान करना ।
42. कंपनी के लाभ और ईटीएस में से स्वैच्छिक, धर्मार्थ, राष्ट्रीय अथवा अन्य संस्थानों अथवा सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए कुछ राशि समर्पित करना, अंशदान करना अथवा अन्यथा सहायता करना, जो किसी नैतिक दायित्व की पूर्ति से जुड़े हैं, अथवा स्थानीय कारणों से या कंपनी के प्रचालन की प्रकृति या अन्यथा कंपनी द्वारा सहायता प्रदान किए जाने का दावा करते हों।

43. किसी धर्मार्थ अथवा राष्ट्रीय प्रयोजन के लिए गठित किए गए किसी राष्ट्रीय स्मारक निधि या किसी अन्य निधि में दान करना।

44. समापन की स्थितियों में सदस्यों के बीच कंपनी की किसी भी संपत्ति का विभाजन करना, परंतु ऐसा कोई विभाजन, जिससे कंपनी की पूंजी कम हो जाए, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि विधि द्वारा आवश्यक नियमों के अनुसार इसके लिए मंजूरी (यदि कोई है) प्राप्त नहीं की जाती है।

45. सभी प्रकार की एजेंसी का व्यवसाय करना और लेन-देन करना और कंपनी अथवा प्रतिष्ठान के एजेंटों, प्रबंधकीय एजेंटों, प्रबंधकों अथवा सचिवों और कोषपालों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करना और सभी अलग-अलग एवं सामूहिक दायित्वों, सेवाओं और क्रमश: ऐसे पदों से संबंधित प्राधिकारों का निष्पादन और निर्वहन करना तथा ऐसे पदों से संबंधित सभी प्रतिबंधों, सीमाओं और शर्तों का अनुपालन करना और इसके लिए बाध्य होना अथवा उपर्युक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए किए गए किसी करार अथवा व्यवस्था की शर्तों का अनुपालन करना।

46. या तो कंपनी के शेयरों अथवा शेयरों में शामिल पक्षकार और नकद अथवा अन्यथा शामिल पक्षकार के साथ कंपनी द्वारा अधिग्रहीत की गई किसी संपत्तियों, अधिकारों अथवा प्रसुविधाओं के लिए भुगतान करना।

47. किसी भी मूल्यह्रास निधि, आरक्षित निधि, डूबने से उबरने के लिए निधि, बीमा निधि अथवा कोई विशेष या अन्यथा निधि चाहे मूल्यह्रास के लिए हो अथवा कंपनी की

किसी संपत्ति की रिपेयरिंग, उसमें सुधार, विस्तार अथवा रखरखाव के लिए क्यों न हो अथवा डिबेंचरों के ऋण मोचन या मोचन योग्य प्राथमिकता शेयरों के लिए या विशेष लाभांश अथवा सामान्यीकरण लाभांश के लिए या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए बनाई गई हो और ऐसी किसी निधि अथवा उसके किसी भाग को ऊपर बताई गई किसी अन्य निधि अथवा निधियों में स्थानांतरित करना।

48. चेक, प्रौमिस्सरी नोट्स, लैडिंग के बिल, वारंट्स, डिबेंचर और अन्य परक्राम्य या हस्तांतरणीय लिखत बनाना, आहरित करना, स्वीकार करना, मोलभाव करना, पृष्ठांकन करना, छूट देना, निष्पादित करना और जारी करना।

49. निधियां जमा करना और निवेश करना, किसी भी प्रकार के चल अथवा अचल निवेश, कोई शेयर, प्रतिभूतियों की अन्यथा खरीद करने या अधिग्रहित करने में कंपनी के साथ अथवा इससे संबंधित धनराशि या दायित्वों को ऐसी शर्तों पर और अवधि जो भी उचित मानी जाए के लिए नियोजित करना और समय-समय पर ऐसे सभी अथवा किसी निवेश को कंपनी के विवेकानुसार सही समझे गए ढ़ंग से परिवर्तित करना।

50. मूल सदस्यता, सिंडीकेट, निविदा, खरीद, विनिमय या अन्यथा में भागीदारी से किसी भी शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, बांड, दायित्वों या प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करना और इसके लिए या तो सशर्त या अन्यथा सदस्यता लेना और उसकी सदस्यता के लिए गारंटी देना और उसके द्वारा प्रदत्त अथवा उसके स्वामित्व के साथ अनुषंगी सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करना और उनका प्रवर्तन करना।

51. इस कंपनी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसमें इस कंपनी का कोई हित निहित है, के व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे साधन जुटाना जो अनिवार्य प्रतीत हो सकते हैं और विशेष रूप से पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन द्वारा परिपत्रों और प्रदर्शनी या कला या रुचि के कार्यों से प्रेस में विज्ञापन देकर और प्रेत्साहन, पुरस्कार और दान (डोनेशन) स्वीकृत करना।

52. कंपनी के संवर्धन, गठन, पंजीकरण और स्थापना के लिए और अनुषंगी स्थापना भुगतान करने के लिए सभी कीमतों, प्रभारों, व्यय का भुगतान करना और और इसकी पूंजी का उपयोग करना और किसी व्यक्ति, व्यक्तियों अथवा कंपनी को उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अथवा कंपनी की पूंजी या डिबेंचर स्टॉक या कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों में किसी शेयरों के प्रतिस्थापन की गारंटी प्रदान करने या इसके व्यापार संचालन में या किसी संपत्ति अथवा व्यापार को कंपनी में शामिल करने में अथवा किसी अन्य कारण जिसे कंपनी अपने विवेकानुसार उचित समझती

है, से पारिश्रमिक देना या दान देना (नकद या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में से या पूरी तरह से या आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के आवंटन द्वारा अथवा शेयरों पर किसी कॉल या ऑप्शन या इस या किसी अन्य कंपनी के डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या प्रतिभूतियों के रूप में या किसी अन्य तरीके से चाहे कंपनी की पूंजी या लाभ या अन्यथा दिए जाएं)।

53. किसी भी कंपनी या प्राधिकरण, सर्वोच्च, नगर कॉर्पोरेशन स्थानीय निकाय या अन्यथा किसी भी व्यक्ति के प्रौमिस्सरी, नोट्स, बांड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, अनुबंध, बंधक, प्रभारों, दायित्वों, लिख्तों और प्रतिभूतियों के संबंध में देय असुरक्षित या सुरक्षित धनराशि के भुगतान की गारंटी देना चाहे निगमित किया गया हो या नहीं किया गया हो और आम तौर पर किसी भी अनुबंध या दायित्वों के निष्पादन के लिए गारंटर या जमानतदार बनना।

54. किसी भी राष्ट्रीय ट्रस्ट, सार्वजनिक निकाय, संग्रहालय, कॉर्पोरेशन, या प्राधिकारी या किसी भी न्यासी को इनमें से किसी एक अथवा जनता के लिए या उसकी ओर से राष्ट्रीय, सार्वजनिक या स्थानीय हित में मानद कंपनी की किसी संपत्ति को या तो स्वेच्छा से अथवा विचार किए बिना या मूल्य के लिए समर्पित करना, प्रस्तुत करना या अन्यथा निपटान करना।

55. कंपनी के विवेकानुसार सही समझे जाने पर कंपनी से संबंधित किसी भूमि को सड़कों, पार्कों, मनोरंजन के मैदानों और अन्य सुविधाओं के लिए संविभाजित करना या उपयोग करना अथवा निर्दिष्ट करना और जनता या किसी व्यक्ति या कंपनी को सशर्त या बिना शर्त के उपयोग करने के लिए ऐसी भूमि को निर्दिष्ट करना।

56. किसी भी अन्य व्यापार या व्यवसाय को संचालित करना जिसके लिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यवसाय कंपनी के उद्देश्य के संबंध में आसानी से संचालित किया जा सकता है अथवा कंपनी की किसी संपत्ति या अधिकार के मूल्य को बढ़ाने या किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए सीधे या परोक्ष रूप से जिसकी गणना की जा सकती है या या जिसके लिए कंपनी से संबंधित किसी अचल संपत्ति के उद्देश्य से ऐसा करने की सलाह दी जा सकती है या जिसमें कंपनी इच्छुक हो सकती है।

57. उपर्युक्त में से सभी या कोई भी कार्य और ऐसी सभी अन्य बातें अथवा कार्य करना, जिसे भारत में या दुनिया के किसी भी भाग में उनके उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुषंगी या अनुकूल माना जा सकता है, चाहे वे या तो प्रधान एजेंटों, ठेकेदार, न्यासी के रूप में या अन्यथा किए जाएं और या तो मानद एजेंटों, ठेकेदारों, या

न्यासियों द्वारा या अन्यथा द्वारा किए जाने के लिए विचार किया जाए जिन्हें उनके उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुषंगी या अनुकूल माना जा सकता है।

58. यहां से पहले अधिकृत सभी या किसी भी कार्य को या तो अकेले या किसी के साथ संयोजन में या अन्य के लिए घटक दलों या न्यासियों या एजेंटों के रूप में या घटकों, न्यासियों अथवा एजेंटों के माध्यम से करना।

59. कंपनी के पंजीकरण अथवा मान्यता की खरीद के लिए एजेंसियों, शाखा स्थानों और स्थानीय प्रतिरोधकों को स्थापित करना और बनाए रखना और दुनिया के किसी भी भाग में व्यवसाय करना और विश्व के किसी भी भाग में कंपनी के शेयरों, अधिकारों और विशेषाधिकारों को देने के लिए यथावश्यक कदम उठाना जैसा कि स्थानीय कंपनियों या साझेदारी फर्मों के पास होते हैं या जिन्हें वांछनीय समझा जा सकता है।

<u>विशिष्ट समस्याओं को देखने के लिए समितियां, उनकी नियुक्तियों की तारीखें और पिछले सात सालों के लिए उनके द्वारा की गई सिफारिशें : -</u>

<u>2010-11</u>

क्र. सं.	समिति / आयोग का नाम	सदस्यों के नाम श्री / श्रीमती / सुश्री
1	लेखापरीक्षा समिति	1. वी. के. अग्रवाल (अध्यक्ष) 2. पंकज अग्रवाल (सदस्य) 3. आर अशोकन (सदस्य)
2	सांविधिक लेखापरीक्षक	1. डी. सी. गर्ग एंड कंपनी
3	शाखा लेखापरीक्षक	1. एन. संबाशिव एंड कंपनी 2. एसबी महीपाल एंड कंपनी 3. सुनील कुमार गुप्ता एंड कंपनी 4. जीके राव एंड कंपनी 5. टॉक खत्री और एसोसिएट्स 6. जी. तोसनीवाल एंड कंपनी 7. गोपाल एंड राजन 8. एस. आर. तोसनीवाल एंड कंपनी
4	निदेशक मंडल	1. आर पी टाक - **अध्यक्ष** 2. मनोज मिश्रा 3. हरभजन सिंह 4. आर अशोकन - **निदेशक** 5. वीके अग्रवाल 6. पंकज अग्रवाल 7. श्रीमती दिवजोत कोहली

2011-12

क्र. सं.	समिति / आयोग का नाम	सदस्यों के नाम श्री / श्रीमती / सुश्री
1	लेखापरीक्षा समिति	1. वी. के. अग्रवाल (अध्यक्ष) 2. पंकज अग्रवाल (सदस्य) 3. एस. के. गोयल (सदस्य)
2	सांविधिक लेखापरीक्षक	1. एस. पी. जी एसोसिएट्स
3	शाखा लेखापरीक्षक	1. एम. के. ए. एसोसिएट्स 2. ए. के. गुटगुटिया एंड कंपनी 3. सुनील कुमार गुप्ता एंड कंपनी 4. लुहारुका एंड एसोसिएट्स 5. टांक खत्री एंड एसोसिएट्स 6. जी तोसनीवाल एंड कंपनी 7. एस. वी. सुब्बा राव एंड कंपनी 8. आर. के. सिंघानिया एंड एसोसिएट्स
4	निदेशक मंडल	1. आर पी टाक - **अध्यक्ष** 2. मनोज मिश्रा 3. एस. सी. अग्रवाल 4. हरभजन सिंह 5. एस. के गोयल - **निदेशक** 6. आर. अशोकन 7. वी. के. अग्रवाल 8. पंकज अग्रवाल 9. श्रीमती दिवजोत कोहली

2012-13

क्र. सं.	समिति / आयोग का नाम	सदस्यों के नाम श्री / श्रीमती / सुश्री
1	लेखापरीक्षा समिति	1. वी. के. अग्रवाल (अध्यक्ष) 2. पंकज अग्रवाल (सदस्य) 3. एस. के. गोयल (सदस्य)
2	सांविधिक लेखापरीक्षक	1. एस. पी. जी एसोसिएट्स
3	शाखा लेखापरीक्षक	1.एम. के. ए. एसोसिएट्स 2.ए. के. गुटगुटिया एंड कंपनी 3.एस एस आर एंड कंपनी 4. लुहारुका एंड एसोसिएट्स 5. ज्योति अग्रवाल एंड कंपनी 6.जी तोसनीवाल एंड कंपनी 7.एस. वी. सुब्बा राव एंड कंपनी 8.आर. के. सिंगहानिया एंड एसोसिएट्स
4	निदेशक मंडल	1. आर पी टाक - **अध्यक्ष** 2. मनोज मिश्रा 3. एस. सी. अग्रवाल 4. हरभजन सिंह 5. एस. के गोयल - **निदेशक** 6. एस एस मेहलावत 7. वी. के. अग्रवाल 8. पंकज अग्रवाल 9. श्रीमती दिवजोत कोहली

2013-14

क्र. सं.	समिति / आयोग का नाम	सदस्यों के नाम श्री / श्रीमती / सुश्री
1	लेखापरीक्षा समिति	1. श्रीमती दिवजोत कोहली (अध्यक्ष) 2. एसके गोयल (सरकारी नामिती) 3. मनोज मिश्रा (सदस्य)
2	पारिश्रमिक समिति	1. श्रीमती दिवजोत कोहली (अध्यक्ष) 2. एस. के. गोयल (सदस्य) 3. एस. एस. मेहलावत (सदस्य)
2	सांविधिक लेखापरीक्षक	1. एसपीजी एसोसिएट्स
3	शाखा लेखापरीक्षक	1. एम. के. ए. एसोसिएट्स 2. ए. के. गुटगुटिया एंड कंपनी 3. एस. एस. आर. एंड कंपनी 4. लुहारुका एंड एसोसिएट्स 5. टॉक और श्रीकांत 6. एन. आर. एंड एसोसिएट्स 7. गोपाल और राजन 8. आर. के. सिंघानिया एंड एसोसिएट्स
4	लागत लेखापरीक्षक	1. जुगल के पुरी एंड एसोसिएट्स 2. बी. वी. आर. एसोसिएट्स 3. ए. के. बेंजबरुआ एंड एसोसिएट
5	निदेशक मंडल	1. आर. पी. टाक - **अध्यक्ष** 2. मनोज मिश्रा 3 एससी अग्रवाल 4 विश्वजीत सहाय 5 एसके गोयल - **निदेशक** 6 एसएस मेहलावत 7 अजय कुमार शर्मा 8 श्रीमती दिवजोत कोहली

2014-15

क्र. सं.	समिति / आयोग का नाम	सदस्यों के नाम श्री / श्रीमती / सुश्री
1	लेखापरीक्षा समिति	1. श्रीमती दिवजोत कोहली (अध्यक्ष) 2. ए. एम. मनीचन (सरकारी नामिती) 3. मनोज मिश्रा (सदस्य)
2	सांविधिक लेखापरीक्षक	1. एसपीजी एसोसिएट्स
3	शाखा लेखापरीक्षक	1.एम. के. ए. एसोसिएट्स 2.ए. के. गुटगुटिया एंड कंपनी 3.एस. एस. आर. एंड कंपनी 4.लुहारुका एंड एसोसिएट्स 5.टॉक एंड श्रीकांत 6.पी गैग्गर एंड एसोसिएट्स 7.गोपाल और राजन 8.आर. के. सिंघानिया एंड एसोसिएट्स
4	लागत लेखापरीक्षक	1. जुगल के पुरी एंड एसोसिएट्स 2. बी. वी. आर. एसोसिएट्स 3. सुभद्रा दत्ता एंड एसोसिएट्स
5	निदेशक मंडल	1 मनोज मिश्रा - **अध्यक्ष** 2 विश्वजीत सहाय 3 ए. एम. मनीचन 4 अजय कुमार शर्मा - **निदेशक** 5 ए. बी. देयासी 6 श्रीमती दिवजोत कोहली

2015-16

क्र. सं.	समिति / आयोग का नाम	सदस्यों के नाम श्री / श्रीमती / सुश्री
1	सांविधिक लेखापरीक्षक प्रधान लेखापरीक्षक	1. कपूर भूषण एंड कंपनी
2	शाखा लेखापरीक्षक	1.एन. सांबा शिव एंड कंपनी 2.डी. सी. जी. एंड कंपनी 3.एस. एस. आर. एंड कंपनी 4.सत्यनारायण एंड कंपनी 5.झांवर एंड कंपनी 6.पी गैग्गर एंड एसोसिएट्स 7.गोपाल एंड राजन 8.डी. एल. गोयनका एंड कंपनी
3	लागत लेखापरीक्षक	1.जुगल के पुरी एंड एसोसिएट्स 2.बी. वी. आर एसोसिएट्स 3.सुभद्रा दत्ता और एसोसिएट
4	निदेशक मंडल	1 मनोज मिश्रा - **अध्यक्ष** 2 विश्वजीत सहाय 3 प्रवीण कुमार 4 ए. एम. मनीचन - **निदेशक** 5 महेंद्र गुप्ता 6 बी. वी. एन प्रसाद 7 एस. शक्तिमनी 8 अजय कुमार शर्मा

2016-17

क्र. सं.	समिति / आयोग का नाम	सदस्यों के नाम श्री / श्रीमती / मैसर्स
1	सांविधिक लेखापरीक्षक प्रधान लेखापरीक्षक	1. कपूर भूषण एंड कंपनी
2	शाखा लेखापरीक्षक	1. एन सांबा शिव एंड कंपनी 2. डी. सी. जी. एंड कंपनी 3. पी. पी. बंसल एंड कंपनी 4. सत्यनारायण एंड कंपनी 5. झांवर एंड कंपनी 6. पी गग्गर एंड एसोसिएट्स 7. गोपाल एंड राजन 8. एस. के. तनवानी एंड कंपनी
3	लागत लेखापरीक्षक	1. जुगल के पुरी एंड एसोसिएट्स 2. एसपी कुमार एंड एसोसिएट्स 3. एस. ढाल एंड कंपनी
4	निदेशक मंडल	1. मनोज मिश्रा - **अध्यक्ष** 2. श्रीमती रितु पांडे 3. ए एम मनीचन 4. प्रवीण कुमार 5. महेंद्र गुप्ता - **निदेशक** 6. बीवीएन प्रसाद 7. एस शक्तिमनी 8. अजय कुमार शर्मा

CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD.

List of CMDs

S. No.	Name (S/Shri)	From	To
1	DR. B.V. KESKAR, CHAIRMAN	20.03.1965	16.06.1972
2	H.V. NARAYANA RAO, M.D.	12.03.1965	25.01.1966
3	H.D. SINGH, M.D.	25.01.1966	25.01.1969
4	K.N. MISRA, M.D.	25.01.1969	21.11.1972
5	C. BALASUBRAMANIUM, IAS	21.11.1972	04.07.1973
6	B.V. RAJU	04.07.1973	28.07.1978
7	COL. S.P. WAHI	26.10.1978	20.07.1981
8	A.P. MAHESWARI	20.07.1981	27.05.1986
9	K.C. SODHIA	27.05.1986	31.08.1986
10	S.B. JAIN, IRS	04.09.1986	24.10.1986
11	C.N. GARG	24.10.1986	10.11.1988
12	ANAND DARBARI	10.11.1988	28.06.1999
13	M.K. MITTAL	29.06.1999	25.03.2001
14	K. TECKCHANDANI	26.03.2001	31.03.2005
15	A.K. SRIVASTAVA	01.04.2005	30.09.2009
16	R.P. TAK	01.10.2009	30.09.2014
17	MANOJ MISRA	01.10.2014	30.09.2018
18	B.V.N. PRASAD	05.10.2018	

Cement Corporation of India Limited

INTRODUCTION

Central and State Public Sector Undertakings (PSUs) play a prominent role in India's industrialization and economic development. Since independence, various socio-economic problems needed to be dealt with in a planned and systematic manner. A predominantly agrarian economy, a weak industrial base, low savings, inadequate investments and lack of industrial facilities called for state intervention to use the public sector as an instrument to steer the country's underlying potential towards self-reliant economic growth. The macroeconomic objectives of Central PSUs have been derived from the Industrial Policy Resolutions and the Five Year Plans. State-level public sectors enterprises (State PSUs) were established because of the rising need for public utilities in the states. These PSUs operated in public utilities such as railways, post and telegraph offices, airports, power and cement contributed significantly towards infrastructure development in India. Since its inception during the First Five Year Plan, many public sector undertakings performed exceptionally well in wealth creation for the country. Therefore, Cement is a critical ingredient for augmenting growth and development of our economy and advancement of the country as a whole. However, our national leadership accorded due importance to the manufacture of adequate cement right since our independence. Within the scheme of mixed economy conceived to rebuild and modernise India, the public Sector was assigned crucial responsibility to provide leadership in the sphere of cement production.

Date of Creation of the Company: - 18.01.1965

Products of CCI Ltd.

CCI Ltd. manufactures various types of cements like Portland Pozzolana Cement (PPC), Portland Slag Cement (PSC) & Ordinary Portland Cement (OPC) of varying grades viz., 33, 43, 53 grades under strict quality control with the brand name of CCI Cement. The Corporation is introducing new product range such as 53-S Grade, special cement for manufacturing Railway sleepers and also introducing cement brand names *Maha shakti* (43 Grade), *Param shakti* (53 Grade), *Poorna shakti* (33 Grade) and *Jal shakti* (33 Grade PPC) for better brand image.

 Portland Pozzolana Cement (PPC)

The Portland Pozzolana Cement is a kind of Blended Cement which is produced by either inter-grinding of OPC clinker along with gypsum and pozzolanic materials in certain proportions or grinding the OPC clinker, gypsum and Pozzolanic materials separately and thoroughly, blending them in certain proportions. Portland Pozzolana Cement also commonly known as PPC cement. These types of cement are manufactured by using pozzolanic materials as one of the main ingredient. The percentage of *pozzolanic* material, used in the preparation, should be between 10 to 30.The strength of cement is reduced when the percentage is exceeded. Some of the pozzolanic materials used are volcanic ash, shale's and certain type of clays. In India, Fly ash is the main constituent used in preparation of cement. Moreover, this type of cement is used for more than 80% construction purposes.

 Ordinary Portland Cement (OPC)

Ordinary Portland Cement (OPC) is the most common cement used in general concrete construction, when there is no exposure to sulphates in the soil or ground water. The raw materials required for the manufacture of OPC are calcareous material such as limestone or chalk and argillaceous materials such as shale or clay. A mixture of these materials is burnt at a high temperature of approximately 14000 degrees Celcius in a rotatory kiln to form clinker. The clinker is then cooled and grounded with a requisite amount of gypsum into fine powder known as Portland cement. OPC is a gray coloured powder which is capable of bonding mineral fragments into a compact whole when mixed with water. This hydration process results in a progressive stiffening, hardening and strength development.

Details of Plants of Cement Corporation of India

The units of the Cement Corporation of India were established in 8 States/Union Territories of India. The units are spread throughout the country from East (Bokajan in Assam) to West (Akaltara, Mandhar in Chhattisgarh and Nayagaon in Madhya Pradesh) and from North (Rajban in Himachal Pradesh and Charkhi Dadri in Haryana) to South (Kurkunta in Karnataka and Adilabad, Tandur in the state of Telangana), with one cement grinding unit in Delhi, CCI Ltd. The details of the locations of each plant are given below.

Operating Plants

- Bokajan Assam
- Rajban Himachal Pradesh
- Tandur Telangana

Non Operating Plants

- Mandhar Chhattisgarh
- Kurkunta Karnataka
- Nayagaon Madhya Pradesh
- Akaltara Chhattisgarh
- Charkhi Dadri Haryana
- Adilabad Telangana
- Delhi Grinding Unit, Delhi
- Yerraguntla Andhra Pradesh

Details of state, location, capacity, process used and date of commissioning of different plants of CCI Ltd. is as follows:-

1. BOKAJAN (Assam)

This unit is located in a difficult area in Karbi Anglong Distt. of Assam. It was set up more from a socio economic point of view for serving the neighbouring areas rather than only for normal economic consideration. The unit went into production since1st April, 1977. It has capacity of 1.98 Lacs tonnes. Limestone for this unit is transported by ropeway which is 18 Kms long, passing through difficult terrain (Bokajan Cement Factory).

2. RAJBAN (Himachal Pradesh)

This is another unit located in a hilly and difficult area. The Unit does not have nearby rail head and therefore, in addition to normal communication being difficult, the unit is serviced for both, inward movement of materials and outward movement of finished products, by road transport for a considerable lead. The entire production of this factory has to be distributed by road. It has capacity of 1.98 Lacs tonnes. From the quarry situated in the hills, limestone is transported by a ropeway of 9 kms. The unit is in commercial production since 1st April, 1980 (Rajban Cement Factory).

TANDUR (Telangana)

This unit went into commercial production since 1st July, 1987. It adopted the dry process and is located at Andhra Pradesh having the capacity of 10 Lacs tonnes (Tandur Cement Factory).

MANDHAR (Chhattisgarh)

This is the first unit of the Corporation, which went into production on 19th July, 1970, adopting the wet process. This was expanded to produce slag cement from November, 1978. It is located at Chhattisgarh with the capacity of 3.8 Lacs tonnes. The slag requirement is drawn from Bhilai Steel Plant (Mandhar Cement Factory)

KURKUNTA (Karnataka)
This is the second wet process unit which went into production on 1st October, 1972. The plant is situated at Karnataka. It adopted the wet process with a production capacity of 1.98 Lacs tonnes (Kurkunta Cement Factory).

NAYAGAON (Madhya Pradesh)
This unit, with an annual installed capacity of 4 Lacs tonnes, went into commercial production since 1st March, 1982. An expansion project of another 10 Lacs tonnes was undertaken on the concept of split location, i.e. clinkerisation at Nayagaon and grinding of clinker at Delhi and Bhatinda. Clinkerisation plant at Nayagaon and grinding unit at Delhi, have gone into commercial production from 1st May, 1990 (Nayagaon Cement Factory).

AKALTARA (Chhattisgarh)
This unit went into commercial production from 1st April, 1981. The plant is located at Chattisgarh. It adopted the dry process for its production. It has a capacity of 4 Lacs tonnes (Akaltara Cement Factory)

CHARKHI DADRI (Haryana)
This was a sick unit, taken over by the Government of India and vested with CCI Ltd. in June, 1981. After rehabilitation within a short period, cement grinding was started by September, 1981 and clinker production started subsequently. Out of two streams, only one was capable of rehabilitation. This unit is located at Haryana having the capacity of 1.74 Lacs tonnes. It adopted the semi-dry process. It started its production on 10th may 1982 (Charkhi Dadri Cement Factory).

ADILABAD (Telangana)
This unit went into commercial Production from 1st April, 1984 and the plant was situated in Andhra Pradesh. It adopted the dry process. Its capacity is 4 Lacs tonnes (Adilabad Cement Factory).

Delhi Grinding Unit (Delhi)
It is located at Delhi and started its production since 1.05.1990. Capacity of Delhi grinding unit is 5 Lacs MT per annum (Delhi Cement Grinding Unit).

Organisational History - Evolution, Growth, Shrinking and Restructuring of CCI

Cement Corporation of India Limited (CCI) was incorporated as a Company wholly owned by Government of India on 18th January 1965 with the principal objective of achieving self-sufficiency in cement production. Implementing third five year plan was a step to achieve that grand objective. Later, during 1970 and 1990, eleven cement plants were set up by the CCI Ltd. in socially and economically backward regions of our country to produce enough cement for meeting the growing demand in the market for this "developmental commodity (Standing committee on Revival and restructuring of CCI Ltd., 2011). The authorised and paid-up capital of the company as on 31.3.2018 was Rs. 900 crores and Rs. 811.41 crores, respectively. At present, CCI Ltd. is a multi-unit organisation having ten units spread over eight states with a total annual installed capacity of 38.98 Lacs MT. All Factories, Zonal Offices and Corporate Office at Delhi are inter-connected through Internet. In line with the advancement in cement technology, CCI Ltd. had been adopting the latest one with one million tonne plants at Tandur and Nayagaon with a strong work-force of 606 employees (as on 31.03.2018) has always encouraged balanced regional growth with most of its factories located in underdeveloped/backward areas. CCI Ltd. has also been contributing to the development of areas around factories by adopting nearby villages and providing the basic facilities like school, health centre, and drinking water etc., for maintaining the ecological balance, CCI Ltd. is launching massive tree plantation drives from time to time at all units and in surrounding areas (Profile of CCI Ltd.). The total installed capacity of all the plants was 42.48 Lacs MT which is less than 2% of total installed capacity of India. However, the installed cement capacity of three operating plants is 14.46 Lacs MT. The authorized share capital of the CCI Ltd. is Rs.900 crore, whereas its net worth as on 31 March 2018 was Rs.3.64 crore and its net profit during 2009-10 was Rs. 52.75 crore. In spite of incurring heavy losses for several years, it generated profit during 2006 and 2010 which was a positive sign. The figures for productivity per employee are going up from 600 MT during 2005-06 to 898 during 2009-10. (Standing committee on Revival and restructuring of CCI Ltd., 2011). Over the years the mounting losses sharply eroded its net worth. By the middle of 1990s, the CCI Ltd. suffered accumulated losses to the tune of Rs. 527.16 crores, that staggering amount was more than its paid up capital of Rs. 406.74 crore and reserves worth Rs. 0.99 crore. The collapse of the net worth sounded alarm bell to safeguard the very survival and commercial viability of the Corporation. It graduated from a loss making Corporation to a sick industrial undertaking. Therefore, it resulted in its reference to the BIFR under section 15(1) of CISA and was declared sick in August 1996. The Yerraguntla plant was sold out to M/s India Cements Ltd. on 21 January 1998 for Rs. 200.70 crore to meet the demand of creditors as per the directions of Hon'ble BIFR. The crisis was further aggravated when the accumulated loss of the Corporation, by 31 March 2005, mounted up to Rs. 2152.86 crore, which sharply stood in contrast to its paid up capital of Rs. 429.28 crore. Its net worth went to the sub-zero level and became negative. It was worth Rs. 1723.58 crore. All those catastrophic developments took place even before the rehabilitation scheme was approved by the BIFR. (Standing committee on Revival and restructuring of CCI Ltd., 2011). The rehabilitation scheme sanctioned by the Hon'ble BIFR on 3 May 2006 suggested closure of seven unviable plants located at Mandhar, Kurkunta, Akaltara, Charkhi Dadri, Delhi Grinding Unit/Bhatinda Grinding unit, Nayagaon and Adilabad and sale of assets of those plants through Asset Sale Committee. The employees working in those units were kept under the category of Voluntary Separation Scheme to get rid of unproductive fixed expenses. The liabilities of the company were further reduced due to the waiver of interests, penalties and surcharge on the Government dues. The revival package also consisted of concessions from the Government, financial institutions, banks and creditors (Standing committee on Revival and restructuring of CCI Ltd., 2011).

CHANGING POSITION AND STRATEGIC INITIATIVES OF CCI

The Indian economy, after growing at an average of around 8.5 percent for most of the last decade, comes down below 5 percent in two years prior to 2014-15. The agriculture sector, at 4.7 percent, continued to be the main driver of economic growth while the manufacturing sector's performance remained subdued during the year on account of low investment sentiment and weak demand. High and persistent inflation remained a key macroeconomic challenge, faced *by* India, throughout the financial year 2013 -14. RBI had to keep the lending rates high to control the inflation. This had a major bearing on the prospects of the cement industry during FY 2013-14 (Annual Report of CCI Ltd., 2014). Number of infrastructure projects got installed and the people resorted to cut down on their discretionary spending as is evident from the fact of drying up of new housing projects. This has led to slump in construction activities. During the financial year, recessionary conditions prevailed in the Global Economy also had its impact on our domestic economy, leading to fall in the value of the Rupee, thereby impacting the petroleum prices among others. Reduced momentum in the cement consumption resulted in widening of the cement demand and supply gap, which in turn put downward pressure on the cement prices in most parts of the country. Additionally, the cement industry had to bear the burden of increased logistic loss due to rise in petroleum prices, resulting lower sales realization. Net profit of CCI Ltd. during the year 2014-15, has increased to Rs. 40.08 crores as against net profit of Rs. 16.20 crores during the previous year. Dispatches of cement during the year 2014-15, were 9.47 Lacs MT of Cement as against 8.31 Lacs MT during the previous year. The year 2014-15 witnessed the highest production of clinker & cement and dispatch of cement in the last five years. Plant at Tandur could achieve the highest production of 7 Lacs tonnes in the last year since inception of the plant in 1987. Production at Rajban Unit was also highest during the last 5 years. Overall capacity utilization of CCI Ltd. stood at 66% (the highest during the last 5 years) inspite of many adverse conditions faced by CCI Ltd., particularly with respect to running of old and obsolete plant at Bokajan (Annual Report of CCI Ltd., 2015).

Significant milestone achieved by CCI Ltd. during 2014-15 include

- Increased production of over 1 Lacs tonnes in 2014-15 compared to 8.36 Lacs metric tonne in 2013-14 which converts to 14% growth.
- Similarly, the capacity utilization stood at 65.88% in 2014-15 over 57.84% during 2013-14, reflecting a growth of 8.1%, despite of stiff competition with private players.
- The sales turnover achieved at Rs.449.55 crore in 2014-15 as compared to Rs.363.03 crore in 2013-14, showing a growth rate of 23.83%.
- The net profit was Rs.40.08 crore in 2014-15 as against Rs.16.20 crore of 2013-14, registering a growth of 147.41%.
- The average ex-factory realization per bag of cement in 2014-15 has also an increase of 10% over 2013-14.
- Company has recorded highest production, capacity utilization, sales turnover and net profit (Annual Report of CCI Ltd., 2015).

During the year under review as compared to past years from the 2010-11 onwards CCI Ltd. operates in North East, South and Northern region (Annual Report of CCI Ltd., 2015). Out of these three regions, Karnataka has been performing on steady pattern and CCI Ltd. have been able to keep the pace by matching prices and pushing volumes in otherwise low demand in the market. This has been achieved as marketing team of CCI Ltd. has been able to harness the rural market in the state. The reason for poor demand is due to ban on mining of sand which still continues (Annual Report of CCI Ltd., 2014). In Andhra Pradesh, some improvements were noticed during the month of August to October, but thereafter, due to heavy arrivals by almost 30- 35 brands, the prices crashed. However, to keep a pace with developments in the state, recently developed loose cement market being explored. Maharashtra region remains low with issues such as Local Body Tax and low demand in government and private sector. Glut in housing sector has resulted in poor flow of cash in the market. With the permission to allow mining in limited manner, market has started to show some signs of recovery and demand has started to emerge. However, pressure on the prices continues. Whereas performance in the north eastern region was affected due to poor demand, price cutting, frequent bandhs by anti-national forces in the area. Due to prevailing situation, the competitors who get huge subsidies are passing the same to dealers and leashed out a price war amongst them (Annual Report of CCI Ltd., 2015).

LATEST FINANCIAL HIGHLIGHTS OF CCI

Turnover of CCI Ltd. from 2005-06 to 2016-17 ***(Rs. in crore)***

The turnover of the company was Rs. 230 crore in 2005-06 before implementation of sanctioned scheme. After implementation of the scheme, turnover of the corporation increased to Rs.373 crore by the year 2016-17. The highest turnover recorded during this period was Rs. 449.50 crores, in the year 2014-15.

Net Sales of CCI Ltd. from 2005-06 to 2016-17 ***(Rs. in crore)***

The net sales of the company was Rs. 195 crore in 2005-06 which increased on annual basis and reached the highest level to Rs. 402.92 crore in the year 2014-15.

PBIT of CCI Ltd. from 2005-06 to 2016-17 ***(Rs. in crore)***

After implementation of sanctioned scheme, corporation recorded net profit of Rs. 32.58 crores (excluding waiver) in the year 2006-07 which increased to Rs. 53.51 crores in the year 2015-16. In spite of the adverse condition due to addition of extra capacity, poor demand, CCI is earning profit continuously from 2005-06 onwards. The net profit was Rs. 42.33 crores in the year 2016-17.

Net worth

Due to various reasons including the entry of private players in Cement industry, CCI incurred losses and by the year 1994-95, its net worth was completely eroded. After BIFR referral, a sanctioned scheme was implemented in 2000. There after CCI is continuously earning profit.

Finally, as on 31.03.2018, the company's net worth turned positive which stands as Rs. 3.64 crore.

CORPORATE GOVERNANCE OF CCI

Company's philosophy on Code of Governance

According to the philosophy of the Company in relation to Corporate Governance, Cement Corporation of India Ltd (CCI) believes in financial prudence, customers' satisfaction, transparency, accountability and commitment to stakeholders. CCI practices based on its stated belief and guidelines, the Government of India issues from time to time should go a long way to enhance value for all those who are associated with the Corporation i.e. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, State Governments, Government Agencies/Departments and the society at large. The Corporation believes that its operations and actions must serve the underlying goal of enhancing the interests of its stakeholders over a sustained period of time, in a socially responsible way. The Company is committed to confirm the highest standards of Corporate Governance (Annual Report of CCI Ltd., 2015).

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF CCI

Corporate have initiative to assess and take responsibility for the company's effects on environment and impacts on social welfare. The term generally applies to company efforts that go beyond what may be required by regulators or environmental protection groups. Corporate social responsibility may also be referred to as "Corporate Citizenship" and can involve incurring short-term costs that do not provide
an immediate financial benefit to the company, but instead promote positive social and environmental change. The company has a CSR policy approved by the Board of Directors which is based on philosophy where in CCI serves the interest of the society by taking responsibility for the impact of their activities on their customers, employees, shareholders, communities and the environment in all aspects of their operation. The policy also empowering and inspiring communities in the locational periphery of factories for attaining long-term sustenance through voluntary social actions covering micro-enterprises, self-help groups etc. and regarding the community as a major stakeholder and accordingly identifying their needs and addressing their concern areas has ensured a better quality of life. CCI has been playing a dominant role in the socioeconomic development of the North-East Region and regions surrounding Tandur and Rajban Cement plants and recognizes that its business activities have direct and indirect impact on the society. The company strives to integrate its business values and operations in an ethical manner to demonstrate its commitment to sustainable development (Annual Report of CCI Ltd., 2015). CCI has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your Company has created basket of activities and taken up various initiatives at its plants level. Thrust area on which CSR activities has been carried out are in nature of infrastructural facilities for educational institutions, financial assistance to BPL students of Polytechnics, Medical / Health care camps.

Functions allotted at the time of creation of CCI

1. To carry on in India and elsewhere the trades and business of the Survey, prospecting and providing of cement-grade limestone deposits, asbestos, and of manufacturers of cement and building materials of all kinds, colliery, proprietors, coke manufacturers, miners and engineers in all their respective branches.

2. To produce, manufacture, purchase, refine, prepare, process, import, export, sell and generally to deal in cement , Portland cement , Portland blast furnace, slag cement , hydrophobic cement , low- heat cement , rapid hardening cement , pozzolana cement, oil well cement, alumina cement, white and coloured cement , lime and limestone , Kankar and/or by- products thereof and building materials and to carry on all ancillary and supporting activities connected with the growth of the cement industry and the development of expertise and in connection therewith , to acquire , erect, construct, establish , operate and maintain factories , mines and quarries, workshops and other works.

3. To purchase, take on lease, or otherwise acquire, the undertaking, business and property or any part thereof of any company or companies carrying on business as manufactures of cement and mineral industries in India or elsewhere, or any other business which the company is entitled to carry on.

4. To produce, manufacture, process, refine, prepare, treat, purchase, sell, export, import or otherwise deal either as Principals or as Agents, either solely or in partnership with others, cement, Portland cement, Portland blast furnace slag cement, hydrophobic cement, low- heat cement, rapid hardening cement , pozzolana cement, oil-well cement, alumina cement, white and coloured cement, lime, plaster of Paris and other building materials of all kinds, asbestos and other building boards to be used in ceiling, floor , walls made from any fibrous materials, such as bagasse, bamboo, wood paper, jute, hemp and grasses, pottery, fire clay and fire bricks, flooring tiles, materials etc.

5. To carry on all or any or the business of manufactures and sellers of and dealers and workers, in cement of all kinds, concrete, asbestos, gypsum, coal, Jute, hessian cloth, gunny bags, paper bags, lime plasters, whiting, clay, bauxite, soapstone, others, paints, fixing materials, gravel, sand bricks, tiles, pipes, pottery, earthen-ware, artificial stone and manufacturers', builders', and dyers' requisites and conveniences of all kinds.

6. To carry on the business of miners, metallurgists, builders, contractors, engineers, merchants, importers and exporters, and to buy, sell and deal in properties of all kinds.

7. To search for, get, manufacture, work, make merchantable, sell and deal in iron, coal, iron ore, limestone, manganese, aluminum, clay and fire clay, and to buy, sell, manufacture, import, export and deal in minerals and mineral products, plant and machinery capable of being used in connection with mining or metallurgical operations or required by workmen and others employed by the company.

8. To carry on investigations to discover places where cement can be profitably made, or where any materials, minerals for any manufacturing work, the company is entitled to carry on, can be obtained and to obtain prospecting or research work in that behalf.

9. To work mines or quarries and prospect for, search for, find, win, get, work, crush, smelt, manufacture or otherwise deal with limestone, chalk, clay, ores, metals, minerals, oils, precious and other stones or deposits, or products and generally to carry on the business of mining in all its branches and aspects.

10. To acquire by concession, grant , purchase , barter ,lease, license or otherwise either absolutely or conditionally, and ether solely or jointly with others, any lands, buildings, mines, minerals, potteries, pottery works, way leaves, privileges, rights, licenses, powers and concessions and in particular, any water rights or concessions for the purpose of obtaining motive power, and any machinery , plant, utensils, goods, trade-marks and other movable and immovable property of

any description which the Company may think necessary or convenient for purposes of its business of which may seem to the Company capable of being turned to account.

11. To search for ores and minerals and grant licenses for mining in or over any lands which may be acquired or held by the company and to lease out any such lands for building or other use.

12. To use, plant, cultivate, work, manage, improve, carry on, develop and turn to account undertakings, lands, mines, right, privileges, property and assets of any kind of the Company or any part thereof.

13. To carry on the business of a water- works company in all its branches, and to sink wells and shafts, and to make, construct, lay down and maintain dams, reservoirs, water work, cisterns, culverts, filter beds, mains and other pipes and appliances, and to execute and do all other acts and things necessary or convenient for obtaining, storing selling, delivering, measuring, distributing and dealing in water.

14. To carry business as paint- makers, dye-makers, gas- makers, smelters, metallurgists and chemical engineers, and carriers by land, air and sea, wharfingers, warehousement, bargeowners, planters, farmers, brick-markers, potters, timber merchants, saw-mill proprietors and timber growers, and to buy, sell, grow, prepare for market, manipulate, import, export and deal in articles of all kinds in the manufactures of which timber or wood is used, and to buy, clear plant and work timber estates.

15. To carry on the trades or business of stone quarrying and of dealers in stone, burners and manufacturers, cement manufacturers and concreate manufactures in all their respective branches.

16. To carry on all or any of all the business usually carried on by Land Companies in all their several branches, and in particular to lay out, improve, alter and develop by draining, cleaning, road-making or otherwise any property, and thereon to erect, construct, pull down, alter or rebuild, assist in erecting and constructing, pulling down, altering or rebuilding and buildings or works whatsoever, as are incidental for the purposes of the Company.

17. To manufacture, buy, sell, exchange, install, work alter, improve manipulate, prepare for market, import or export and otherwise deal in all kinds of metals and minerals, plant and machinery, Wagons, rolling stock, apparatus, tools utensils, substances, materials and things, necessary or compliant for carrying on any of the business which the Company is authorized to carry on or which is usually dealt in by persons engaged in such business.

18. To apply for tender, purchase or otherwise acquire any contract and concessions for or in relation to the construction, execution carrying out, equipment, improvement, management, administration or control of works and conveniences, and to undertake, execute, carry out, dispose of, or otherwise turn to account the same.

19. To carry on the business of a General Electrical power and supply Company and gas-works Company in all their respective branches, and to construct, lay down, establish, fix and carry out all necessary power station, cables, wires, lines, accumulators, lamps and work and generate, accumulate, distribute, and supply electricity and gas to light cities, towns, streets, docks, markets theatres, buildings and places both public and private.

20. To carry on the business of electricians, suppliers of electricity for the purposes of light, heat motive power or otherwise, and manufacturers of and dealers in apparatus and things acquired for or cable of being used in connection with the generation, distribution, supply, accumulation and employment of electricity, galvanism, magnetism or otherwise.

21. To manufacture and deal in all kinds of kinds of articles and things, required for the purpose of any such business as aforesaid or commonly dealt in by persons in any such business.

22. To subscribe for, underwrite, purchase or otherwise acquire, and to hold, dispose of and deal with the shares stocks, securities and evidences of indices of indebtedness or the right to participate in profits or other similar documents issued by any Government authority, corporation or body or by any company or body of persons, and any options of rights in respect thereof.

23. To apply for, purchase, or otherwise acquire any trade marks, patents, brevets and invention licenses, concessions and the like, conferring any exclusive or non-exclusive or limited right to use, or any secret or other information as to any invention which may seem capable of being used for any of the purposes of the company, or the acquisition of which may seem calculated directly or indirectly to benefit the company and to use, exercise, develop or grant licenses in respect of or otherwise turn to account the property, rights or information so acquired.

24. To promote or concur in the promotion of any company, the promotion of which shall be considered desirable.

25. To establish competitions, and to offer and grant prizes, rewards and premiums and to provide for and furnish or secure to any members or customers of the company, or to the holders of any coupons or tickets issued by or for the company, any challis, conveniences, advantages, benefits or special privileges which may seem expedient, either gratuitously or otherwise and generally to adopt such means of making known the products of the company and pushing the sale thereof as may seem expedient.

26. To take all necessary or proper steps in Parliament or with the authorities national, local, municipal or otherwise or otherwise, of any place in which the company may have interests, and to carry on any negotiations or operations for the purpose of directly or indirectly carrying out the objects of the company or effecting any modification in the constitution or the Company or furthering the interests of its members, and to oppose any such steps taken by any other company, firm or persons which may be considered likely directly or indirectly to prejudice the interest of the company, or its company.

27. To acquire and deal with all kind of property including the following property:

    i) The business, property and liabilities of any company, firm or person carrying on any business within the objects of this company

    ii) Lands, buildings, easements and other interest in immovable property

    iii) Plant, machinery, personal estate and effects.

    iv) Patents, patent rights, inventions or designs.

    v) Shares Stokes or securities in or of any company carrying on any business which this company is entitled to carry on or any other company or undertaking the acquisition of which may seem likely or calculated directly or indirectly to promote or advance the interest of the company or be advantageous or beneficial to the company and to continue to hold any shares in any such company heretofore acquired by the company and to sell, dispose of and transfer any such shares, stock or securities.

    vi) To purchase, take on lease or acquire in exchange or under amalgamation, license or connection or otherwise, absolutely or conditionally, solely or jointly with others any property, rights or privileges which the company may think necessary or convenient for the purposes of its business, and make, construct, maintain, work, hire, hold, improve, alter, manage, let, sell dispose of, exchange, carry out or control roads, canals, water-courses, ferries, piers, wharf, quays, sheds, landing places, garages, accommodation of all kinds for sea and land traffic, water ways, lands, buildings, pipelines, foundries, warehouses, works, factories, warehouses, tramways, workshops sidings, engines, machinery and apparatus, electric works, water rights, way leaves, privileges or rights of any description or kind and other conveniences which may be calculated directly indirectly to advance the company's interest and to contribute to, subsidize or otherwise assist or take part in the construction, improvement, maintenance working, management, carrying out or control thereof.

28. To sell, let, dispose of or grant rights over all or any property of the company.

29. To create buildings, factories, plant and machinery for the purposes of the company.

30. To undertake payment of all rents and performance and observance of all covenants, conditions, and agreements contained in or reserved by any lease or leases which may be granted or assigned to or may be otherwise acquired by the company.

31. To borrow money or to receive money on deposits for the purpose of financing the business of the company either without security or secured by debentures, stock (perpetual or terminable), mortgage or other security charged on the undertaking of all or any of the assets of the company including uncalled capital and to increase, reduce or pay off such securities.

32. To lend money on mortgage of immovable property or on hypothecation or pledge of movable property or without security and to invest money of the company in such manner (other than in the shares of this company) as the Directors think fit and to sell, transfer or deal with the same.

33. To enter into partnership or into any arrangement for joint working, sharing or pooling profits, amalgamation, union of interest, co-operation joint venture, reciprocal concession, assistance, subsidy or otherwise or amalgamate with any person or company carrying on or engaged in or about to carry on or engage in any business or transaction which the company is authorized to carry on or engage in or any business undertaking or transaction which may seem capable of being carried on or conducted so as directly or indirectly to benefit this company.

34. To sell or dispose of the undertaking of the company all or any of the property or effects of the company for cash or for stock, shares or securities of any other company or for other consideration as company may think fit and in particular for shares, debentures or securities of any other company having objects, altogether or in part similar to those of the company.

35. To establish, provide, maintain and conduct or otherwise subsidize in India or in any part of the world, educational and training institutions, research laboratories and experimental workshops for scientific and teaching research, experiments and tests of all kinds, to promote studies and researches, both scientific and technical, investigations and inventions by providing, subsidizing, endowing or assisting laboratories, workshops, libraries, lectures, meetings and conferences and by providing or contributing to the remuneration of scientific or technical professors or teachers and by providing or contributing to the award of scholarships, prizes, grants to students or otherwise and generally to encourage, promote and reward studies, researches, investigations, experiments tests and inventions of any kind that may be considered likely to assist any business which the Company is authorized to carry on and to enter into any arrangement with Government or any other party for the purposes aforesaid.

36. To obtain, apply for, arrange for the issue or enactment of Order or Act of Legislature in India or any other part of the world for enabling the Company to obtain powers, authorities, protection, financial and other help necessary or expedient to carry out or extend any of the objects of the Company or for any other purpose which may seem expedient and to oppose any proceedings or applications or any other endeavors, steps or measures which seem calculated directly or indirectly to prejudice the Company's interest.

37. To enter into any arrangement with the government of India with other government or state or any local or state Government or with authorities, supreme, national, local, municipal or otherwise or with any rulers, chiefs, landholders, or with any person for the purpose of directly or indirectly carrying out the objects of the Company or furthering or any of them or effecting any modification in the constitution of the company or furthering the interests of the company or its members and to obtain from any such Government, State, Authorities or person any charters, subsidies, loans, indemnities, grants, contracts, decrees, rights, sanctions, privileges, licenses or concessions whatsoever (whether statutory or otherwise) which the company may think it desirable to obtain and carry out exercise and comply with such arrangements, charters, grants, contracts, decrees, rights, sanctions, privileges, licenses or concessions and the term and conditions and in particular to comply with any conditions for sharing of profits of the Company with any such Government, State, authority or person, or for restricting dividends on shares of the Company.

38. To establish, maintain, manage and operate restaurants, refreshment rooms, buffets, canteens cafeterias and hotels and to carry on the business of general provision merchants, licensed victuallers and tobacconists.

39. To provide for the amelioration and welfare of persons employed or formerly employed by the company and the wives, families, dependent or connections of such persons by building of houses or contributing to the building of houses, dwelling or chawls or by grants of money, persons, allowances, bonuses or other payments or by creating and from time to time subscribing or contributing to Provident Fund and other Associations, Institutions, Funds or trusts or by helping persons employed by the Company to effect or maintain insurance on their lives by contributing to payment or otherwise, and by providing or subscribing or contributing towards places of instruction and recreation, hospitals and dispensaries, medical and other assistance as the company shall think fit .

40. To apply the assets of the company in any way in or towards the establishments, maintenance or extension of any association, Institution or fund in any way connected with any particular trade or business or with trade or commerce generally including any association or fund for the protection of the interests of masters, owners and employers against loss by bad debts, strikes, combinations, fire, accidents or otherwise or for the benefits of any clerks, workmen or others at any time employees by company or any of its predecessor in business or their families or depended and whether or not common with other persons or classes of persons and in particular of friendly, corporative and other societies, reading rooms, libraries, education and charitable institutions, refectories, dining and recreation rooms, places of workshop, schools and hospitals and to grant gratuities, pensions and allowances and to contribute to any funds raised by public or local subscriptions for purpose whatsoever.

41. To aid peculiarly or otherwise to or otherwise association body or movement having for an object the aid solution, settlement or surmounting of the industrial or labor problems or troubles or the promoting of industry or trade.

42. To dedicate present, subscribe to or otherwise aid, out of the profits and ets of the company, and benevolent charitable, national or other institutions or objects of a public character or which have any moral or other claims to supports or aid by the company by reasons of the locality or nature of its operations or otherwise.

43. To make donation to ay national memorial fund or any find constituted for a charitable or national purpose.

44. To distribute any of the property of the company among the members in specie or in kind in the event of winding up but so that no distribution amounting to reduction of capital be made except with the sanction (if any) for the time being required by law.

45. To transact and carry on all kind of Agency business and to be appointed act as Agents, managing agents managers or secretaries and treasurers of the company or concern and to do and perform all the singular the several duties, services and authorities appertaining to such office respectively and to comply with and to become bound by all restrictions, limitations and conditions appertaining to such offices respectively or in posed by the terms of any agreement or agreements enterer for any of the purpose aforesaid.

46. To pay for any properties right or privileges acquired by the company, either in shares of the company, or party in shares and party in cash or otherwise.

47. To create any depreciation fund, reserve funds, sinking fund, insurance fund or any special or other fund whether for depreciation or for repairing improving, extending or maintain any of the property of the company or for redemption of debenture or redeemable preference shares or for special dividends or equalizing dividends or for any other purpose whatsoever, and to transfer any such fund or part thereof to any of the other funds herein mentioned.

48. To make, draw, accept, negotiate, endorse, discount, execute and issue cheques, promissory notes, bills of lading warrants, debentures and other negotiable or transferable instruments.

49. To accumulate funds and to invest of otherwise employ moneys belonging to or obligations to or with the company in the purchase or acquaint of any shares, securities or other investments whatsoever whether movable or immovable upon such term as may be thought proper and from time to time vary all or any such investments in such manner as the company may think fit.

50. To acquire any share, stocks, debentures, debenture stock, bonds, obligations or securities by original subscriptions participation in syndicates, tender, purchase, exchange or otherwise and to subscribe for the same, either conditionally or otherwise and to guarantee the subscription thereof and to exercise and enforce all right and powers conferred by or incidental to the ownership thereof.

51. To acquire such means of making known the business of the company or of any company in which this company is interests as may seem expedient and in particular by advertising the press by circulars and exhibition or works of art or interest by publication of books and periodicals and by granting prizes rewards and donations.

52. To pay all the costs, charges, expenses of and incidental to the promotion, formation, registration and establishment of the company and the use of its capital and to remunerate or make donations (by cash or other assets or by the allotment of fully or partly paid shares or by a call or option on shares, debentures, debenture stock or securities of this or any other company or in any other manner, whether out of the company's capital or profits or otherwise) any person, persons or company for service rendered or guaranteeing the placing of any of the shares in the company's capital or any debentures stock or other securities of the company or in the conduct of its business or in introducing any property or business to the company or for any other reason which the company may think proper.

53. To guarantee the payment of money unsecured or secured by or payable under or in respect of promissory, notes, bonds, debentures, debenture stock, contracts, mortgages, charges, obligations, instruments and securities of any company or of any authority, supreme, municipal, local or otherwise or any person whomsoever, whether incorporated or not incorporated and generally to guarantee or become sureties for the performance of any contracts or obligations.

54. To dedicate, present or otherwise dispose of either voluntarily with or without consideration or for value, any property of the company deemed to be of national, public or local interest to any national trust, public body, museum, corporation, or authority or any trustees for or on behalf of any of the same or of the public.

55. To appropriate, use or lay out land belonging to the company for streets, parks pleasure grounds allotments and other conveniences and to present any such land so laid out to the public or to any persons or company conditionally or unconditionally as the company thinks fit.

56. To carry any other trade or business that seems to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the object of the company or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render any of the company property or right or which it may be advisable to undertake with a view to immovable belonging to the company or in which the company may be interested.

57. To do all or any of the above things, and all such other things as are incidental or may be thought conducive to the attainment of the above objects of them in India or any other part of the world, either as principle agents, contractor, trustees or otherwise, and either by or thought agents, contractors trustees, or otherwise things as are incidental or conducive to the attainment of the objects.

58. To do all any of the things hereinbefore authorize either alone or in conjunction with or as factors trustees or agents for other or by through factors, trustees or agents.

59. To establish and maintain agencies, branch places, and local resisters to procure registration or recognition of the company and to carry on business in any part of the world and to tack such steps as may be necessary to give the company's share rights and privileges in any part of the world as are possessed by local companies or partnership or as may be thought desirable.

Committees appointed to look into the specific problems, periods of their appointment & recommendations made by them for last seven years:-

2010-11

S. No	Name of Committee / Commission	Names of Members S/Shri/ M/s
1	Audit Committee	1. V.K. Aggarwal (Chairman) 2. Pankaj Aggarwal (Member) 3. R. Asokan (Member)
2	Statutory Auditors	1. D.C. Garg & Co.
3	Branch Auditors	1. N.Sambashiv & Co. 2. S.B.Mahipal & Co. 3. Sunil Kumar Gupta & Co. 4. G.K. Rao & Co. 5. Taunk Khatri & Associates 6. G. Tosniwal & Co. 7. Gopal & Rajan 8. S.R.Tosniwal & Co.
4	Board of Directors	1. R.P.Tak - **Chairman** 2. Manoj Misra 3. Harbhajan Singh 4. R.Asokan **Directors** 5. V. K. Aggarwal 6. Pankaj Aggarwal 7. Smt. Divjot Kohli

2011-12

S. No	Name of Committee / Commission	Names of Members S/Shri/ M/s
1	Audit Committee	1. V.K. Aggarwal (Chairman) 2. Pankaj Aggarwal (Member) 3. S.K Goyal (Member)
2	Statutory Auditors	1. SPG Associates
3	Branch Auditors	1 MKA Associates 2 A.K.Gutgutia & Co. 3 Sunil Kumar Gupta & Co. 4 Luharuka & Associates 5 Taunk Khatri & Associates 6 G. Tosniwal & Co. 7 S.V. Subba Rao & Co. 8 R.K.Singhania & Associates
4	Board of Directors	1. R.P.Tak **Chairman** 2. Manoj Misra 3. S.C. Agrawal 4. Harbhajan Singh 5. S.K. Goyal **Directors** 6. R.Asokan 7. V. K. Aggarwal 8. Pankaj Aggarwal 9. Smt. Divjot Kohli

2012-13

S. No	Name of Committee / Commission	Names of Members S/Shri/ M/s
1	Audit Committee	1. V.K. Aggarwal (Chairman) 2. Pankaj Aggarwal (Member) 3. S.K. Goyal (Member)
2	Statutory Auditors	1. SPG Associates
3	Branch Auditors	1. MKA Associates 2. A.K.Gutgutia & Co. 3. S.S.R. & Co. 4. Luharuka & Associates 5. Jyoti Agrawal & Co. 6. G. Tosniwal & Co. 7. S.V. Subba Rao & Co. 8. R.K.Singhania & Associates
4	Cost Auditors	1. Jugal K. Puri & Associates 2. B.V.R. Associates 3. Jain Nathulal & Co.
5	Board of Directors	1 R.P.Tak **Chairman** 2 Manoj Misra 3 S.C. Agrawal 4 Harbhajan Singh 5 S.K. Goyal **Directors** 6 S.S. Mehlawat 7 V. K. Aggarwal 8 Pankaj Aggarwal 9 Smt. Divjot Kohli

2013-14

S. No	Name of Committee / Commission	Names of Members S/Shri M/s
1	Audit Committee	1. Smt. Divjot Kohli (Chairman) 2. S.K. Goyal (Govt. nominee) 3. Manoj Misra (Member)
2	Remuneration Committee	1. Smt. Divjot Kohli (Chairman) 2. S.K. Goyal (Member) 3. S.S. Mehlawat (Member)
2	Statutory Auditors	2. SPG Associates
3	Branch Auditors	1. MKA Associates 2. A.K.Gutgutia & Co. 3. S.S.R. & Co. 4. Luharuka & Associates 5. Taunk & Srikanth 6. NR & Associates 7. Gopal & Rajan 8. R.K.Singhania & Associates
4	Cost Auditors	1. Jugal K. Puri & Associates 2. B.V.R. Associates 3. A.K. Bezboruah & Associate
5	Board of Directors	1 R.P.Tak **Chairman** 2 Manoj Misra 3 S.C. Agrawal 4 Vishvajit Sahay 5 S.K. Goyal **Directors** 6 S.S. Mehlawat 7 Ajay Kr. Sharma 8 Smt. Divjot Kohli

2014-15

S. No	Name of Committee / Commission	Names of Members S/Shri/ M/s
1	Audit Committee	1. Smt. Divjot Kohli (Chairman) 2. A.M. Manichan (Govt. nominee) 3. Manoj Misra (Member)
2	Statutory Auditors	1. SPG Associates
3	Branch Auditors	1. MKA Associates 2. A.K.Gutgutia & Co. 3. S.S.R. & Co. 4. Luharuka & Associates 5. Taunk & Srikanth 6. P Gaggar & Associates 7. Gopal & Rajan 8. R.K.Singhania & Associates
4	Cost Auditors	4. Jugal K. Puri & Associates 5. B.V.R. Associates 6. Subhadra Dutta & Associates
5	Board of Directors	1 Manoj Misra **Chairman** 2 Vishvajit Sahay 3 A.M. Manichan 4 Ajay Kr. Sharma **Directors** 5 A.B. Deyashi 6 Smt. Divjot Kohli

2015-16

S. No	Name of Committee / Commission	Names of Members S/Shri/ M/s
1	Statutory Auditors Principal Auditor	1. Kapoor Bhushan & Company
2	Branch Auditors	1. N Samba Shiv & Co. 2. DCG & Co. 3. S.S.R. & Co. 4. Satyanarayana & Co 5. Jhanwar & Co. 6. P Gaggar & Associates 7. Gopal & Rajan 8. DL Goenka & Co
3	Cost Auditors	1. Jugal K. Puri & Associates 2. B.V.R. Associates 3. Subhadra Dutta & Associate
4	Board of Directors	1 Manoj Misra **Chairman** 2 Vishvajit Sahay 3 Pravin Kumar 4 A.M. Manichan **Directors** 5 Mahender Gupta 6 B.V.N. Prasad 7 S. Sakthimani 8 Ajay Kr. Sharma

2016-17

S. No	Name of Committee / Commission	Names of Members S/Shri/ M/s
1	Statutory Auditors Principal Auditor	1. Kapoor Bhushan & Company
2	Branch Auditors	1. N Samba Shiv & Co. 2. DCG & Co. 3. P.P. Bansal. & Co. 4. Satyanarayana & Co 5. Jhanwar & Co. 6. P Gaggar & Associates 7. Gopal & Rajan 8. S.K. Tanwani & Co
3	Cost Auditors	1. Jugal K. Puri & Associates 2. S.P. Kumar & Associates 3. S.Dhal & Co.
4	Board of Directors	1 Manoj Misra **Chairman** 2 Smt. Ritu Pandey 3 A.M. Manichan 4 Pravin Kumar 5 Mahender Gupta **Directors** 6 B.V.N. Prasad 7 S. Sakthimani 8 Ajay Kr. Sharma